

# रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-11, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित



21 अगस्त 2024, बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, निःशुल्क

## विकसित भारत का केंद्र बन रहा छत्तीसगढ़ : श्री साय

मुख्यमंत्री ने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण

कर प्रदेशवासियों को सम्बोधित किया, सीएम ने संबोधन में बताया राज्य की तरक्की का रोडमैप

छत्तीसगढ़ में 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को सम्बोधित किया। मुख्यमंत्री के उद्बोधन में राज्य के विकास के रोडमैप की झलक दिखी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत की संकल्पना में विकसित छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले आठ महीने में प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण हेतु ठोस पहल की है। गरीब, किसान, महिलाएं, युवा, आदिवासी तथा दिव्यांगों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में 68 लाख परिवारों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। धान की रिकॉर्ड खरीदी, बोनस और कृषक उन्नति योजना से प्रदेश के किसानों के जीवन में खुशहाली लौट आई है। मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी वंदन समेत अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम श्रीरामलला दर्शन योजना के माध्यम से हम हजारों रामभक्तों को उनके आराध्य के दर्शन के लिए पूर्णतः निःशुल्क भेजने का माध्यम बने हैं।

इस अवसर पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाने का आह्वान भी किया। श्री साय ने अपने उद्बोधन में प्रदेश के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में शहीद गेंद सिंह, शहीद ध्रुवा राव, शहीद यादव राव, शहीद वेंकट राव, वीर गुंडाधुर, शहीद डेबरी धुर, शहीद आयतु माहरा, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे हमारे अनेक ऐतिहासिक नायकों ने स्वाधीनता की अलख जगायी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज के दिन हम उन पूर्वजों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने आपातकाल के कठिन दौर में संविधान की मशाल को बुझने नहीं दिया।



### माओवाद अब अंतिम सांस ले रहा

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बीते आठ महीनों में हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 146 नक्सलियों को मार गिराया है। इस दौरान हमने 32 नये सुरक्षा कैंप खोले हैं और आने वाले दिनों में 29 नये कैंप शुरू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नक्सलवादी घटनाओं से निपटने के लिए अनुसंधान और अभियोजन की कार्यवाही और भी प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए हमने राज्य अन्वेषण एजेंसी (एसआईए) का गठन किया है। बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त



हो चुकी है और विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि "नियद नेल्लानार" योजना शुरू की है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों के लिए आरंभ की गई 'पीएम जनमन योजना' की तरह इस योजना से कैंपों के निकट पांच कि.मी. की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाओं एवं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है।

### युवाओं के सपने पूरा कर रही सरकार

सीएम ने कहा हमारी सरकार द्वारा राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2021 में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में हमारे युवाओं की सफलता दर बढ़े, इसके लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा नई दिल्ली में संचालित यूथ हॉस्टल में यू.पी.एस.सी. की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों के लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर हमने 185 कर दी हैं। अब हमने शासकीय सेवाओं हेतु आयोजित परीक्षा में



सम्मिलित होने की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की है। राजधानी के नालंदा परिसर की तरह ही 13 और नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त लाइब्रेरी भी तैयार की जाएगी। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हमने "छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन" का गठन किया है। हम आईआईटी की तर्ज पर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं।

### अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का कल्याण

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना लेकर आए तो प्रदेश के लाखों परिवारों को उम्मीदें जगी लेकिन पिछले 5 सालों में प्रदेश के 18 लाख जरूरतमंद परिवारों के आवास का सपना पूरा नहीं हो सका। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में चिन्हांकित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को आवास स्वीकृत करने का निर्णय भी हमने "मुख्यमंत्री आवास योजना" के तहत लिया है। समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति के उत्थान और विकास को सुनिश्चित करने के इसी लक्ष्य के



अनुरूप हम अनथक कार्य कर रहे हैं। अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी 68 लाख परिवारों को अगले पांच सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। जलजीवन मिशन के क्रियान्वयन की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने 4500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही "शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना" लागू करने का निर्णय लिया गया है।

### रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट पर भी (शीघ्र ही एप पर भी लॉन्च किया जाएगा)

छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्र रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट

<https://dprcg.gov.in/>



पर ऑनलाइन उपलब्ध हो रहा है। इससे पाठकों को नवीनतम नौकरी के अवसरों, करियर सलाह, और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। अब अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर पर समाचार पत्र को एक्सेस कर सकते हैं।

## मुख्यमंत्री को स्वच्छता दीदियों, ट्रांसजेंडरों, दिव्यांग बच्चों ने बांधा रक्षा सूत्र


मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताने बहनों ने 'थैंक यू विष्णु भैया' वाली राखी बांधी, एक्स पर पूरे दिन ट्रेंड करता रहा हमर-विष्णु-भैया

छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन का पर्व इस बार खास बन गया, जब राज्य की बहनों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति अपने स्नेह और सम्मान को एक अनूठे तरीके से व्यक्त किया। इस मौके पर स्वच्छता दीदियों, ट्रांसजेंडरों, दिव्यांग बच्चों और महतारी वंदन योजना की लाभार्थी बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधकर उनके खुशहाल जीवन कामना की। ट्रांसजेंडरों के साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग ने जिस तरह सीएम के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया, यह मुख्यमंत्री की सादगी और विनम्रता का एक बेहतरीन उदाहरण है।



“छत्तीसगढ़ की बहनों द्वारा प्रदान किए गए स्नेह से मैं अभिभूत हूँ, मातृशक्ति के कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध ...”

-श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़



### शिक्षा से बदल रही तस्वीर

महासमुंद की शासकीय स्कूल की छात्राओं ने अपनी सृजनात्मकता से बनाई राखी मुख्यमंत्री श्री साय की कलाई पर सजाई। प्रधान पाठक डेमेश्वरी गर्जेंद्र के नेतृत्व में स्कूल की छात्राएं पूर्वी देवार, भूमि देवार, नेहा देवार, पीहू बुंदेला और सारिका ठीमर मुख्यमंत्री निवास रायपुर पहुंचीं। इन छात्राओं में देवार जनजाति की बच्चियों को शामिल देख मुख्यमंत्री ने उन्हें दुलारा और स्नेह जताते हुए शिक्षा के प्रति जागरूकता से बदल रही देवार जनजाति की तस्वीर पर खुशी जताई।

## रोजगार सूचना

### आईओसीएल

पद: नॉन एग्जीक्यूटिव  
पद संख्या: 467  
अंतिम तिथि: 21 अगस्त 2024  
[iocl.com](http://iocl.com)

### आईबीपीएस

पद: आईटी ऑफिसर व अन्य  
पद संख्या: 896  
अंतिम तिथि: 21 अगस्त 2024  
[www.ibps.in](http://www.ibps.in)

### एसएससी

पद: जेएचटी  
पद संख्या: 312  
अंतिम तिथि: 25 अगस्त 2024  
[ssc.gov.in](http://ssc.gov.in)

### आरआरबी

पद: जूनियर इंजीनियर व अन्य  
पद संख्या: 7951  
अंतिम तिथि: 29 अगस्त 2024  
[www.rbapply.gov.in](http://www.rbapply.gov.in)

### झारखंड कर्मचारी चयन आयोग

पद: क्षेत्रीय कार्यकर्ता  
पद संख्या: 510  
अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2024  
<https://jssc.nic.in/>

### हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

पद: इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, डिप्लोमा और नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट  
पद संख्या: 256  
अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2024  
[nats.education.gov.in](http://nats.education.gov.in)

### ITBP

पद: कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल  
पद संख्या: 256  
अंतिम तिथि: 10 सितंबर 2024  
[recruitment.itbpolice.nic.in](http://recruitment.itbpolice.nic.in)



## रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक : मयंक श्रीवास्तव  
संपादक : जवाहर लाल दरियो  
सहायक संपादक : गीतांजलि नेताम  
संपादकीय सलाहकार : अरविन्द मिश्रा  
वितरण व्यवस्था : मोहन मिश्रा, विक्रान्त  
संपादकीय सहयोग : संदीप सिन्हा  
लेआउट डिजाइन : धनेश कुमार दिवाकर  
डेटा एंट्री ऑपरेटर : अंजुशानी, राकेश साहू

### - कार्यालय पता -

छत्तीसगढ़ संवाद  
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)  
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,  
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)  
फोन-0771-2512582, 2512583  
ईमेल पता  
[rojgaraurniyojan@gmail.com](mailto:rojgaraurniyojan@gmail.com)

### रोजगार और नियोजन निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

## पिक ऑफ द वीक



रक्षाबंधन के अवसर पर सीएम हाउस पहुंची धमतरी की दिव्यांग वर्षा धुव ने मुख्यमंत्री को बांधी राखी

## साय सरकार का खेलों को प्रोत्साहन : युवाओं के लिए सौगात

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर "छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना" शुरू करने की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक संसाधन और प्रोत्साहन प्रदान करना है।

### 1. आधारभूत संरचना का विकास और उन्नयन

- बहुउद्देश्यीय स्टेडियम: प्रत्येक संभाग में बहुउद्देश्यीय स्टेडियम स्थापित किए जाएंगे, जिनमें पारंपरिक खेलों की मेजबानी और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
- खेल मैदानों का विकास: प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 खेल मैदानों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। हर विकासखंड में अधिकतम 10 खेल मैदान होंगे।
- इनडोर हाल की स्थापना: प्रत्येक विकासखंड में इनडोर हाल की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए विशेष राशि स्वीकृत की जाएगी।
- आधुनिक खेल स्टेडियम: रायगढ़, बलौदाबाजार, और जशपुर जिलों में आधुनिक खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें हाकी एस्ट्रोर्टफ मैदान, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और अन्य सुविधाएँ होंगी।

### 2. खेलों का संवर्धन और प्रतियोगिताएँ

- छत्तीसगढ़ खेल महोत्सव: राज्य के पारंपरिक और लोकप्रिय खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष "छत्तीसगढ़ खेल महोत्सव" का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव राज्य के विभिन्न हिस्सों में पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देगा।
- खेल समितियों और क्लबों को सहयोग: पंजीकृत खेल समितियों और क्लबों को खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर खेल गतिविधियों का विस्तार हो सके।



### 3. खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन और सहायता

- राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रोत्साहन: योजना के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शत-प्रतिशत यात्रा व्यय और खेल उपकरणों के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- प्रतिभा खोज और खेलवृत्ति: खिलाड़ियों की प्रतिभा को खोजने और निखारने के लिए खेलवृत्ति दी जाएगी। ओलिंपिक खेलों में शामिल खेलों के लिए राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को विशेष खेलवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- प्रशिक्षण और उपकरण: ग्राम पंचायत स्तर पर शासकीय खेल मैदानों को खेल उपकरण और सामग्री प्रदान की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को भी उच्च स्तर का प्रशिक्षण और साधन मिल सके।

### खेल के लिए अधोसंरचना निर्माण

- रायगढ़ में 31 करोड़ रुपये की लागत से इनडोर स्टेडियम कांप्लेक्स, हाकी एस्ट्रोर्टफ मैदान, और सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण।
- बलौदाबाजार जिले में 14 करोड़ रुपये की लागत

- से इनडोर स्टेडियम कांप्लेक्स।
- जशपुर जिले के कुनकुरी में 33.60 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक खेल स्टेडियम।

## कृषक रत्न पुरस्कार आवेदन 31 अगस्त तक

डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए कृषकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन 31 अगस्त 2024 तक आमंत्रित किया गया है। पुरस्कार हेतु इच्छुक एवं पात्र कृषक कार्यालय उप संचालक कृषि एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सुकमा में निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय से तथा विभाग की वेबसाइट [www.agriportal.cg.nic.in](http://www.agriportal.cg.nic.in) से प्राप्त की जा सकती है। पुरस्कार वितरण राज्य स्थापना दिवस 1 नवम्बर 2024 के अवसर पर किया जाएगा

## वायु सेना: हिंदी टाइपिस्ट की भर्ती, आवेदन 1 सितंबर तक

इंडियन एयर फोर्स में ग्रुप-सी सिविलियन के 182 पदों पर के लिए उम्मीदवार 1 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। इन पदों में से 157 लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) के लिए और 18 हिंदी टाइपिस्ट के लिए हैं। इसके अलावा, 7 आवेदकों का चयन ड्राइविंग के पदों के लिए होगा। इस वैकेंसी में आवेदन करने की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और ओबीसी के उम्मीदवारों को छूट दी गई है। लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी)

के उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय से इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही वे प्रति मिनट 35 शब्द टाइप करने में सक्षम होने चाहिए। इसी तरह हिंदी टाइपिस्ट के उम्मीदवार 12वीं पास होना चाहिए और न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी में टाइप करने में सक्षम होना चाहिए। दसवीं पास सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए पात्र हैं। आईएफ की आधिकारिक वेबसाइट [indianairforce.nic.in](http://indianairforce.nic.in) पर आवेदन कर सकते हैं।



## नगर पालिका व पंचायतों में प्लेसमेंट

राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पांच नवगठित नगर पालिकाओं और 14 नगर पंचायतों में प्लेसमेंट पर दस-दस पदों की स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन ने नवगठित अमलेश्वर, मंदिर हसौद, लोरमी, पंडरिया और बांकी मोंगरा नगर पालिकाओं तथा दाढ़ी, सरसीवा, बेरला, पामगढ़, भिंभोरी, रोहांसी, कोपरा, जनकपुर, पवनी, मरवाही, नरियरा, जरहागांव, लाल बहादुर नगर और पटना नगर पंचायतों के लिए प्लेसमेंट पर दस-दस पद मंजूर किए हैं। इनमें सफाई श्रमिकों के पांच-पांच पद तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर, पंप अटेंडेंट, वाहन चालक, भृत्य और श्रमिक के एक-एक पद शामिल हैं।

## कैट 2024, नवंबर में होगी परीक्षा

आईआईएम कोलकाता की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) 2024 आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा नवंबर में होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पिछली बार की तुलना में इस बार एग्जाम फीस में पचास रुपए से लेकर सौ रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। सामान्य वर्ग के छात्रों की एग्जाम फीस ढाई हजार रुपए है। पिछली बार यही फीस 2400 रुपए थी। इसी तरह महिला और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 1250 रुपए है। पिछली बार यह फीस 1200 रुपए थी। इस बार परीक्षा आयोजित किए जाने वाले शहरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। पिछली बार इस परीक्षा के लिए 167 शहरों में केंद्र बनाए गए थे। इस बार यह संख्या 170 है। गौरतलब है कि देशभर के 21 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) समेत अन्य कॉलेजों के एमबीए कोर्स में प्रवेश के लिए कैट का आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी। स्नातक में 50 फीसदी अंक वाले छात्र इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। कैट के आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट [iimcat.ac.in](http://iimcat.ac.in) पर दी गई है।

## परिवहन उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 1 सितंबर को

परिवहन उप निरीक्षक (तकनीकी) भर्ती के तहत 1 सितंबर को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह भर्ती कुल 15 पदों के लिए हो रही है। पिछले साल अगस्त में इसकी वैकेंसी निकली थी। आवेदन के एक साल बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए रायपुर में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। उप निरीक्षक भर्ती के तहत चयन दो चरणों में होगा। पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी। यह 300 अंकों के लिए होगी। इसमें दो पेपर होंगे। एक छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और दूसरा पेपर संबंधित विषय का होगा।

# कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) छत्तीसगढ़

E-Mail-cmhokorea@gmail.com

क्रमांक /3952/एन.एच.एम./ 2024

बैकुण्ठपुर, दिनांक 13/08/2024

## संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत आर.ओ.पी. वर्ष 2022-24 मे स्वीकृत मानव संसाधन के आधार पर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीनस्थ कोरिया जिले में रिक्त संविदा पदों क्रमांक 01 से 32 तक एव एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत पद क्र0 33 से 35 तक के पदों में नियुक्ति किया जावेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत जिला स्तर पर रिक्त संविदा पदों की भर्ती किये जाने हेतु इच्छुक आवेदक नीचे दिये आवेदन प्रारूप (अ) अनुसार दिनांक 13/08/2024 से दिनांक 13/09/2024 को संध्या 05.30 बजे तक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ0ग0 के पते में केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री के माध्यम से ही भेजें अन्य माध्यमों से भेजे गये आवेदन स्वीकर नहीं होंगे। उक्त रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0	पदनाम	कार्यक्रम	एक मुशत वेतनमान	रिक्त	अनुसूचित जन जाति			अनुसूचित जाति			अन्य पिछडा वर्ग			अनारक्षित		
					मुक्त	महि.	नि:शक्त	मुक्त	महि.	नि:शक्त	मुक्त	महि.	नि:शक्त	मुक्त	महि.	नि:शक्त
1	नर्सिंग ऑफिसर (PHC)	NHM	16500/-	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	नर्सिंग ऑफिसर (ICU)	NHM	16000/-	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3	नर्सिंग ऑफिसर (UHC)	UHC	16500/-	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
4	नर्सिंग ऑफिसर (SNCU)	SNCU	16000/-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	नर्सिंग ऑफिसर (Nurses in Emergency care (Emergency)	NHM	16500/-	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6	ए.एन.एम.	NHM	12000/-	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
7	सी.एच.ओ. (सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी)	NHM	16500	16	6	0	1	1	0	0	2	0	0	6	0	0
8	डी.पी.एच.एन.	NHM	30000/-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9	साईकोट्रिक नर्स	NMHP	31500/-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
10	कम्युनिटी नर्स	NMHP	16500/-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
11	साईकोलॉजिस्ट	NMHP	31500/-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	फिजियोथेरेपिस्ट	NHM	18000/-	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
13	आयुष चिकित्सा अधिकारी (पुरुष) (आर.बी.एस.के)	RBSK	25000/-	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	सोशल वर्कर	NMHP	22000/-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15	एम.पी.डब्ल्यू (यु0)	UHC	14000/-	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
16	लैब टेक्नीशियन	IDSP	14000/-	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
17	लैब टेक्नीशियन (BPHU)	NHM	14000/-	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
18	रेडियोग्राफर (BPHU)	NHM	15000/-	5	2	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
19	इंस्ट्रक्टर फॉर हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन	ENT	15000/-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20	काउंसलर	NHM	12000/-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21	एच.डब्ल्यू.सी. संगवारी (काउंसलर)	HWC	13500/-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
22	जू सेक्रेटोरियल असिस्टेंट	UHC	12000/-	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
23	एच.डब्ल्यू.सी. संगवारी (डाटा)	HWC	13500/-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
24	ओ.टी. टेक्नीशियन	NHM	14000/-	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
25	लैब असिस्टेंट	NIDDCP	8800/-	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
26	पीयर सपोर्टर	NVHCP	10000/-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
27	चतुर्थ वर्ग	UHC	10000/-	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
28	सुरक्षा गार्ड	NHM	10000/-	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
29	क्लीनर	SNCU	8800/	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	सपोर्ट स्टॉफ (हाउस कीपिंग स्टॉफ )	NHM	10000/-	8	3	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0
31	कुक् कम केयर टेकर	NRC	8800/-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
32	आया बाई	SNCU	8800/-	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
33	लैब टेक्नीशियन	ICTC/ Blood Bank	21000/-	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

34	काउंसलर	STI	21000/-	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
35	चिकित्सा अधिकारी	OST	72000/-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न संविदा पद क्रमांक 01 से 35 तक के पदों पर भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता

क्र0	कार्यक्रम	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता
1	NHM	नर्सिंग ऑफिसर (PHC)	01. B.Sc Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing with CG Nursing Council registration (Final Merit list prepared on the basis of order of priority like 1 & 2) 02. General Nursing and Midwifery (GNM)
2	NHM	नर्सिंग ऑफिसर (ICU)	01. B.Sc Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing with CG Nursing Council registration (Final Merit list prepared on the basis of order of priority like 1 & 2) 02. General Nursing and Midwifery (GNM)
3	UHC	नर्सिंग ऑफिसर (UHC)	01. B.Sc Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing with CG Nursing Council registration (Final Merit list prepared on the basis of order of priority like 1 & 2) 02. General Nursing and Midwifery (GNM)
4	SNCU	नर्सिंग ऑफिसर (SNCU)	01. B.Sc Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing with CG Nursing Council registration (Final Merit list prepared on the basis of order of priority like 1 & 2) 02. General Nursing and Midwifery (GNM)
5	NHM	नर्सिंग ऑफिसर (Nurses in Emergency care (Emergency)	01. B.Sc Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing with CG Nursing Council registration (Final Merit list prepared on the basis of order of priority like 1 & 2) 02. General Nursing and Midwifery (GNM)
6	NHM	ए.एन.एम.	12th Passed, ANM passed & INC affiliated training center & live registration in Chhattisgarh Nursing Registration Counseling
7	NHM	सी.एच.ओ. (सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी)	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (BSC Nursing Certificate in Community Health Integrated Course) उत्तीर्ण। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (Post Basic BSC Nursing Certificate in Community Health Integrated Course) उत्तीर्ण। अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होने अनिवार्य है।
8	NHM	डी.पी.एच.एन.	MSC Nursing Regular) + 1 Year Experience (previlage to Community Helth Candidate) +Live Registration of CG Nurses Registration Council. Or BSC Nursing (regular) +3 Year Experience Live Registration of Cg Nurses Registration Council (Final Merit list prepared on the basis of order of priority like 1 & 2 )
9	NMHP	साईकोट्रिक नर्स	एम.एस.सी. साईकोट्रिक नर्सिंग अथवा बी.एस.सी. नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साईकोट्रिक नर्सिंग (छ0ग0 नर्सिंग काउंसिल में राजिस्टर्ड होना अनिवार्य है) (Final Merit list prepared on the basis of order of priority like 1 & 2 )
10	NMHP	कम्युनिटी नर्स	बी.एस.सी. नर्सिंग के साथ छ0ग0 नर्सिंग काउंसिल में राजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।
11	NMHP	साईकोलॉजिस्ट	एम.फिल साईकोलॉजी, उक्त योग्यता न होने की दशा में एम.एस.सी./एम.ए. साईकोलॉजी (रेगुलर) को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि जिले में एम.फिल. साईकोलॉजी अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में एम.एस.सी./एम.ए. साईकोलॉजी (रेगुलर) को प्राथमिकता दिया जावे।
12	NHM	फिजियोथेरेपिस्ट	Bachelor's Degree in Physiotherapy (B.P.T) संबन्धित काउंसिल में राजिस्टर्ड होना अनिवार्य है
13	RBSK	आयुष चिकित्सा अधिकारी (आर.बी.एस.के)	BAMS/BHMS/BUMS Degree Registration from any GOI Reconised (BAMS/BHMS/BUMS) Ayush, Homeo, Unani Registration Board & live registration in Chhattisgarh AyushBoard Registration Counseling
14	NMHP	सोशल वर्कर	1. एम.फिल साईकोट्रिक सोशल वर्क को प्राथमिकता दिया जावेगा यदि उक्त योग्यता न होने की दशा में मास्टर ऑफ सोशल वर्कर (रेगुलर) को प्राथमिकता दिया जावेगा।
15	UHC	एम.पी.डब्ल्यू (यु0)	Must have passed Higher Secondary Examination (10+2) examination with Biology Subject. One Year Diploma in Multipurpose worker Training or Equivalent Training from Training center recognized by the state government with registered in chhattisgarh Paramedical Council.
16	IDSP	लैब टेक्नीशियन	BMLT/DMLT and Pathology in para Medical Course Passed and Registration in Chhattisgarh Para Medical Council
17	BPHU	लैब टेक्नीशियन	BMLT/DMLT and Pathology in para Medical Course Passed and Registration in Chhattisgarh Para Medical Council
18	BPHU	रेडियोग्राफर	(1) 10+2 पद्वति में विज्ञान विषय के साथ 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) क्ष-किरण तकनीशियन/रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये। और (3) छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से रेडियोग्राफर/क्ष-किरण तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना चाहिये।
19	NPPCD	इंस्ट्रक्टर फॉर हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन	Diploma in Training young deaf and hearing handicapped (DTYDHH) form RCI recognized institute.
20	NHM	काउंसलर	PG Degree/Diploma in psychology/ Counseling/Health Education/Mass Communication/social Science
21	HWC	एच.डब्ल्यू.सी. संगवारी (काउंसलर)	Any Graduate +MSW
22	UHC	जू सेक्रेटोरियल असिस्टेंट	12th Passed with at least 1 year Computer Diploma
23	HWC	एच.डब्ल्यू.सी. संगवारी (डाटा)	Any Graduate +PGDCA
24	NHM	ओ.टी. टेक्नीशियन	1. जीव विज्ञान, रासायन में 10+2 उत्तीर्ण। 2. ओ0टी0 टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स एवं छ0ग0 पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
25	NIDDCP	लैब असिस्टेंट	12th Pass in Biology & 2 Year Experience(Priority given to health related Experience)
26	NVHCP	पीयर सपोर्टर	The Peer Supporter Shuld be a pereson Preferably Wirth or Recoverrd Form the Disease (Hepatitis B or Hepatitis C). With a Minimum of Intermediate (12th( forme Science )) Level education S/he Must also sound knowledge of the local Language and Working Knowledge of English
27	UHC	चतुर्थ वर्ग	10th Passed

28	NHM	सुरक्षा गार्ड	10th Passed (आयु सीमा 21 से 40 वर्ष एवं न्यूनतम ऊंचाई 160 से.मी. होना अनिवार्य है।) अनुभव शायकीय /अर्द्ध शासकीय/निजी संस्था में सेक्युरिटी गार्ड के रूप में कार्य करने का 01 वर्ष का अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा निवास ग्राम/शहर अनुसार सरपंच/वार्ड पार्षद द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
29	SNCU	क्लीनर	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (8 वीं)
30	NHM	सर्पट स्टॉफ (हाउस कीपिंग स्टॉफ)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (8 वीं)
31	NRC	कुक कम केयर टेकर	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (8 वीं)
32	NHM	आया बाई	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (8 वीं)
33	ICTC/Blood Bank	लैब टेक्नीशियन	Graduate in medical Laboratory Technology (B.Sc.) OR DMLT, The services of Existing LTs who do not hold a DMLT may be continued if they done a certificate course in medical Laboratory Technology and have more than 5 year Experience of working in the ICTC/PPTC/ART centre under the National Aids Control Programme . DMLT, The services of Existing LTs who do not hold a DMLT may be continued if they done a certificate course in medical Laboratory Technology and have more than 5 year Experience of working in the ICTC/PPTC/ART centre under the Nation Aids Control Programme . 2 Other Expertise required -Working Knowledge of computer. Minimum 1 year experience after graduation OR Minimum 2 year experience after Diploma
34	STI	काउंसलर	Post Graduate Degree/ Diploma in Psychology /Social Work/ Sociology /Anthropology/human development /Nursing. OR Graduate in Psychology/Social Work/ Sociology /Anthropology/human development/Nursing. And In the case of those recruited from the community of people infie with or affected by HIV/ AIDS, the experience will be relaxed to a minimum 1 year of experience in the field of HIV/AIDS 1- Other Expertise required -Working Knowledge of computer. (Minimum 1 year experience after PG Degree/ Diploma of working in field of Counseling in the health sector preferably in HIV/AIDS OR Minimum 3 year experience after Graduation of working in field of Counseling in the health sector)
35	OST	MO (MBBS)	MBBS with Valid registration Form the respective state medical council /NMC (Desirable 6 month of junior residency in any clinal branch) (work expience in HIV/AIDS Programme in field settings Essential Experience : Those With MD Psychiatry /Diploma in Psychiatry Medicine (DPM) Will be preferred. good Working Knowledge of Computer , MS OFFICE .

**नियम एवं शर्तें**

- उपरोक्त समस्त पदों की नियुक्ति चयन प्रक्रियायें माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधधीन होगी। इस संबंध माननीय उच्चतम न्यायालय, के अंतरिम आदेश दिनांक 01.05.2023 का पैरा -4,5 एवं 6 निम्नानुसार है:-
- 4. we therefore, permit the state to go ahead with the selection pocess and make appointment and promotions.
- 5- However, it is made clear that the same shall be Subject to the result of the petition.
- 6- All appointment and the promotion order shall specifically men- tions that such appointments and promotions are subject to the final outcome of the present proceeding.
- 1. विज्ञापन जारी होने की तिथि में समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत किया जावेगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन हेतु अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। अतः अर्हता को सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 2. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में होना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र पर एक पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करना अनिवार्य होगा एवं फोटो व दस्तावेज स्वप्रमाणित होना अनिवार्य होगा। (आवेदन पत्र प्रारूप अ में विज्ञापन के साथ में संलग्न है)
- 3. उपरोक्त पदों पर आवेदन के समय मान्यता प्राप्त शिक्षामण्डल/शासकीय संस्था./ विश्वविद्यालय का शैक्षणिक योग्यता अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व पंजीयन की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।
- 4. विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में समान्य शर्तें व दिशा निर्देश, सूची एवं भर्ती के संबंध में समस्त जानकारी सिर्फ जिले की वेबसाइट www.korea.gov.in में देखी व डाउनलोड की जा सकेगी। अन्य किसी माध्यम से अभ्यर्थियों को कोई भी जानकारी नहीं दी जावेगी।
- 5. संविदा भर्ती के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु निम्नानुसार है:-
  - प्रबंधकीय पद हेतु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष
  - चिकित्सकीय पद हेतु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष (आयु की गणना विज्ञापन वर्ष के अनुबंध वर्ष के दिनांक 01 जनवरी से की जावेगी।)
- 6. सभी पद पूर्णतः संविदा आधारित है, जो कि सरल क्रमांक 01 से 32 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के अधीन है तथा सरल क्रमांक 33 से 35 तक एड्स नियंत्रण समिति के नियमानुसार संविदा भर्ती के संदर्भ में आरक्षण व अन्य नियम-शर्तें लागू होंगे।
- 7. आवेदक आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन में पदनाम, कार्यक्रम का नाम एवं वर्ग (अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) का नाम अनिवार्य

रूप से उल्लेख करें।

- 8. आवेदन निर्धारित प्रारूप में पूर्णतः भरकर बंद लिफाफे में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। अन्य किसी माध्यम से या सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 9. विज्ञापन जारी होने के उपरांत निर्धारित तिथि एवं समय तक आवेदन प्राप्त ना होने पर या अन्य किसी कारणवश विलंब या डाक द्वारा विलंब के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। उक्त संबंध में आवेदन स्वीकार/विचार नहीं किया जावेगा ना ही कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जावेगा।
- 10. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप (अ) में पूर्ण रूप से भरे, स्पष्ट एवं पूर्ण आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। अस्पष्ट, अपूर्ण भरे आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे।
- 11. शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है, उस संस्था का आवश्यकतानुसार यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.आई. एवं संबंधित काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य संस्था अमान्य है (इस हेतु वेबसाईट <https://www.ugc.ac.in> का अवलोकन करें)।

**चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-**

- 11.1 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नातकोत्तर जो भी अनिवार्य हो उसके सभी वर्षों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर) की गणना अनिवार्य शिक्षा की पूर्ण अवधि में अर्जित कुल

अनुभव अंक 10/15/20	बोनस 10 अंक
<p>1. जी.एन.एम./ए.एन.एम./नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन अभ्यर्थियों हेतु :- अनुभव अधिकतम 20 अंक (प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने पर 04 अंक अधिकतम 05 वर्षों हेतु 20 अंक) अनुभव प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर का ही मान्य होगा।</p> <p>2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु :- अनुभव अधिकतम 15 अंक (प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने पर 03 अंक अधिकतम 05 वर्षों हेतु 15 अंक )</p> <p>3. अन्य अभ्यर्थियों हेतु (ऐसे अभ्यर्थी जो मितानिन/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत नहीं रहे हैं।) अनुभव अधिकतम 10 अंक (प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने पर 02 अंक अधिकतम 05 वर्षों हेतु 10 अंक )</p>	<p>संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.अवि. /2024/124 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31.01. 2024 में प्राप्त निर्देशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जावेगा।</p>

प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर पदनाम वार दिए गए सारिणी अनुसार किया जायेगा।

- 11.2 कौशल परीक्षा- 20 अंक (पद के अनुरूप लिखित/कम्प्यूटर बेस्ड/साक्षात्कार आदि के स्वरूप में कौशल परीक्षा ली जावेगी)
- 11.3 अनुभव-10/15/20 अंक  
अनुभव 10/15/20 अंक संबंधित पदों के ही मान्य किये जावेंगे। (एन.एच.एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 03 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक अधिकतम 10 अंक) एवं मितानिनों को ए0एन0एम0 एवं स्टॉफ नर्स के पदों पर नियमानुसार अधिकतम 20 अंक का प्रावधान है।
- सारिणी-अनुभव एवं बोनस अंक हेतु-**
- 12. अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद से संबंधित) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं के ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे। निशुल्क सेवा अथवा शासकीय निधि से भुगतान नहीं किये गए पदों के अनुभव अंक मान्य नहीं किये जायेंगे। अनुभव/अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित पद का नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश तथा वेतनमान की प्रति देना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव का अंक अमान्य किया जावेगा।
- 13. अनिवार्य अनुभव वाले पदों हेतु मान्यता प्राप्त निजी संस्थान से प्राप्त कार्य अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को पात्र सूची में सम्मिलित किया जावेगा किन्तु उन्हें अनुभव का अंक प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- 14. कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को 10 बोनस अंक दिया जाना है एवं सामान्य स्थिति में नियुक्त संविदा (अनियमित) कर्मचारी है उन्हें अनुभव के अधिकतम 15 अंक तक दिया जाना है। इस प्रकार एक ही कर्मचारी को दोनों अनुभव के अंक नहीं दिया जायेगा।

15. पद के अनुरूप कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार

15.1 कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार- 20 अंक

15.2 प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर ही स्कूटनी कर अभ्यर्थियों की पात्र/अपात्र सूची तैयार कर दावा आपत्ति हेतु जिले के वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी।

15.3 दावा-आपत्तियों हेतु अभ्यर्थियों को एक निश्चित समय दिया जायेगा। आवेदन/सूची में त्रुटियों की स्थिति में जिला स्तर पर समिति इन दावा-आपत्ति का निराकरण कर निर्णय लेगी तथा पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी करेगी।

15.4 स्क्रीनिंग/कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा लिये जाने के संबंध में - निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/स्कूटनी कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता क्रम सूची बनाई जायेगी एवं निम्नानुसार विज्ञापित पदों की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आहूत किया जावेगा।

क्र.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	स्क्रीनिंग/साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना

16. चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जावेगी:-

A कौशल परीक्षा हेतु

शैक्षणिक योग्यता	+	अनुभव के अंक/बोनस का अंक
------------------	---	--------------------------

B अंतिम चयन हेतु-

शैक्षणिक योग्यता	+	अनुभव के अंक/बोनस का अंक	+	कौशल परीक्षा के अंक
------------------	---	--------------------------	---	---------------------

C अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जावेगी

क्र.	विज्ञापित पदनाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का अंक	अनुभव अंक	कौशल परीक्षा का अंक	शैक्षणिक योग्यता + अनुभव + कौशल परीक्षा = कुल अंक
1	नर्सिंग ऑफिसर (PHC)	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर/स्नातक) का 60%	10/15/20 अंक / बोनस अंक 10	20	60+20+20= 100
2	नर्सिंग ऑफिसर (ICU)	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर/स्नातक) का 60%	10/15/20 अंक / बोनस अंक 10	20	60+20+20= 100
3	नर्सिंग ऑफिसर (UHC)	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर/स्नातक) का 60%	10/15/20 अंक / बोनस अंक 10	20	60+20+20= 100
4	नर्सिंग ऑफिसर (SNCU)	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर/स्नातक) का 60%	10/15/20 अंक / बोनस अंक 10	20	60+20+20= 100
5	नर्सिंग ऑफिसर (Nurses in Emergency care (Emergency Technician))	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर/स्नातक) का 60%	10/15/20 अंक / बोनस अंक 10	20	60+20+20= 100
6	ए.एन.एम.	शैक्षणिक योग्यता का 60%	10/15/20 अंक / बोनस अंक 10	20	60+20+20= 100
7	सी.एच.ओ. (सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी)	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर/स्नातक) का 65%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	20	65+15+20= 100
8	डी.पी.एच.एन.	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर/स्नातक) का 65%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	20	65+15+20= 100
9	साइकेट्रिक नर्स	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर/स्नातक) का 65%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	20	65+15+20= 100
10	कम्युनिटी नर्स	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर/स्नातक) का 65%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	20	65+15+20= 100
11	साइकोलॉजिस्ट	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर/स्नातक) का 65%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	20	65+15+20= 100
12	फिजियोथेरेपिस्ट	शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) का 65%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	20	65+15+20= 100
13	चिकित्सा अधिकारी-आयुष (आर.बी.एस.के.)	शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) का 65%	10/15 अंक	20	65+15+20= 100
14	सोशल वर्कर	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर) का 65%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	20	65+15+20= 100
15	एम.पी.डब्ल्यू. (पु.)	शैक्षणिक योग्यता का 65%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	20	65+15+20= 100
16	लैब टेक्नीशियन (IDSP)	तकनीकी शिक्षा का 65%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	20	65+15+20= 100
17	लैब टेक्नीशियन (BPHU)	तकनीकी शिक्षा का 65%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	20	65+15+20= 100
18	रेडियोग्राफर (BPHU)	तकनीकी शिक्षा का 65%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	20	65+15+20= 100
19	इंस्ट्रक्टर फॉर हेयरिंग इम्पेयर्ड	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर/स्नातक) का 65%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	20	65+15+20= 100
20	काउंसलर (NHM)	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर/स्नातक) का 65%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	20	65+15+20= 100
21	एच.डब्ल्यू.सी. संगवारी (काउंसलर)	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर) का 65%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	20	65+15+20= 100
22	जू. सेक्रेटेरियल असिस्टेंट	शैक्षणिक योग्यता (12 वीं) का 65%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	20	65+20+15= 100
23	एच.डब्ल्यू.सी. संगवारी (डाटा)	शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) का 65%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	20	65+15+20= 100
24	ओ.टी. टेक्नीशियन	शैक्षणिक योग्यता(12वीं,विज्ञान) का 65%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	20	65+15+20= 100

25	लैब असिस्टेंट	शैक्षणिक योग्यता (12वीं,विज्ञान) का 85%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	0	85+15= 100
26	पीयर सपोर्टर	शैक्षणिक योग्यता (12वीं,विज्ञान) का 85%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	0	85+15= 100
27	चतुर्थ वर्ग	शैक्षणिक योग्यता (10 वीं) का 85%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	0	85+15= 100
28	सुरक्षा गार्ड	शैक्षणिक योग्यता (10 वीं) का 85%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	0	85+15= 100
29	क्लीनर	शैक्षणिक योग्यता (8 वीं) का 85%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	0	85+15= 100
30	सपोर्ट स्टॉफ (हाउस कीपिंग स्टॉफ)	शैक्षणिक योग्यता (8 वीं) का 85%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	0	85+15= 100
31	कुक कम केयर टेकर	शैक्षणिक योग्यता (8 वीं) का 85%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	0	85+15= 100
32	आया बाई	शैक्षणिक योग्यता (8 वीं) का 85%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	0	85+15= 100
33	लैब टेक्नीशियन (ICTC/Blood Bank)	तकनीकी शिक्षा का 65%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	20	65+15+20= 100
34	काउंसलर (STI)	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर/स्नातक) का 65%	10/15 अंक / बोनस अंक 10	20	65+15+20= 100
35	चिकित्सा अधिकारी (MBBS)ओ.एस.टी.	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर/स्नातक) का 65%	10/15 अंक	20	65+15+20= 100

- अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको की गणना सरल क्रमांक C,1 C,2 C,3 के अनुसार की जावेगी।

17. अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के कुल अंकों का 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा, 30 प्रतिशत अंक अर्जित नही करने की दशा में अभ्यर्थी को अपात्र माना जायेगा।

18. डाटा संबंधित पदों के सभी अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर/लेपटाप पर दिये गये विषय अनुसार कौशल परीक्षा (20 अंक का) देना होगा, इस हेतु समय निर्धारित रहेगा।

19. सेवा प्रदाता (क्लीनिकल) पदों हेतु स्किल आधारित टेस्ट का आयोजन किया जाकर भर्ती की जावेगी।

20. सरल क्रमांक 33 एवं 34 में Counsellor (ICTC) एवं Lab Technician (ICTC) के पद हेतु अनुभव शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं का ही मान्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा निजी संस्था के अनुभव जमा किये जाने पर पद से संबंधित होने पर मान्य करते हुये अभ्यर्थियों को पात्र सूची में सम्मिलित किया जावेगा, किन्तु उन्हे अनुभव का अंक प्रदाय नही किया जायेगा।

21. प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति आर.सी.एच.फ्लेक्सीपुल, कोरिया (DISTRICT HEALTH SOCIETY RCH FLEXI POOL KOREA) के नाम से जारी डीडी (Demand Draft) बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

22. आवेदन शुल्क का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ग	मानदेय प्रतिमाह-25000	मानदेय प्रतिमाह-25000
विकलांग/अ.जा./अ.ज.जा.	100 रु.	200 रु.
अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला	200 रु.	300 रु.
अनारक्षित संवर्ग	300 रु.	400 रु.

23. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाना आव होगा। अन्यथा आवेदन विचारणीय नहीं होगा।

24. प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या घटाई जा सकती है या निरस्त किया जा सकता है। जिसका अधिकार अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति का होगा।

25. भर्ती प्रक्रिया के दौरान शासन/विभाग द्वारा नियम एवं शर्तों में परिवर्तन होने पर आवेदकों को मान्य होगा। इसकी जानकारी जिले की वेबसाइट [www.korea.gov.in](http://www.korea.gov.in) पर उपलब्ध कराई जायेगी।

26. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह सूचना देना होगा अन्यथा एक माह का वेतन जमा करना होगा।

27. उपरोक्त संविदा अवधि 31 मार्च 2025 तक के लिए होगी। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में उक्त अवधि की वृद्धि की जा सकती है। नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा पद

स्वतः निरस्त हो जायेंगे।

28. वार्षिक कार्य आधारित मुल्यांकन में योग्य पाये जाने पर संविदा अवधि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग., द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
29. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा सेवा समाप्त की गयी है, चाहे वह किसी भी पद पर रहे हों, उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की संज्ञा में रखा जावेगा।
30. चयन उपरांत सभी चयनित उम्मीदवारों को 50 रूपये का अनुबंध पत्र (बॉण्ड) भरना होगा।
30. विज्ञापित पदों की संख्या में बैकलॉग पद शामिल हैं एवं पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है।
32. उक्त पदों के लिये प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी किया जायेगा, जिसकी वैधता चयन सूची के प्रकाशन की तिथि से आगामी अधिकतम एक वर्ष अथवा नवीन भर्ती के विज्ञापन जारी होने तक रहेगी। ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सके।
33. उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होंगे तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना एवं मुख्यालय निवास करना अनिवार्य होगा।
34. उपरोक्त पदों पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्याओं पर अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जिला कोरिया का होगा।
35. योग्य उम्मीदवार नहीं होने की दशा में चयन समिति द्वारा भर्ती निरस्त कर पुनः पद विज्ञापित कराया जा सकता है।
  - (अ) आवेदन पत्र दिये गये प्रारूप में समस्त दस्तावेजों के साथ जमा करना अनिवार्य है-
    - 1- 08 वीं अंकसूची
    - 2- 10 वीं अंकसूची (जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु)।
    - 3- 12 वीं अंकसूची।
    - 4- संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की समस्त वर्षों की अंकसूची।
    - 5- संबंधित पद हेतु वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की समस्त वर्षों की अंकसूची।
    - 6- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि/प्रमाण पत्र।
    - 7- अहर्तानुसार अनिवार्य तकनीकी शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिग्री।
    - 8- संबंधित कौंसिल/रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
    - 9- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति/निवास प्रमाण पत्र। (आवश्यकता होने पर उच्चस्तरीय छानबीन समिति द्वारा अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)
    - 10- छ.ग. राज्य संबंधी मूल निवास प्रमाण पत्र।
    - 11- पहचान-पत्र। (आधार कार्ड/वोटर आई. डी. कार्ड/पेन कार्ड/ड्राइविंग लायसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थियों का नाम, पता, फोटो हो)
    - 12- यदि दिव्यांग है तो (दिव्यांगता प्रमाण पत्र)
    - 13- कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति आदेश की प्रति।
    - 14- अन्य संबंधित दस्तावेज/विशेष छूट हेतु प्रमाण पत्र।
  - (ब) भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा-निर्देश-
    1. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की जाँच की जाएगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
    2. संविदा मानदेय:- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित आर.ओ.पी. अनुसार देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
    3. छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी नियम एवं शर्तें ICTC/STI एवं OST सेंटर के लिये विज्ञापित पद क्रमांक 33,34 एवं 35 हेतु लागू होंगी।
    4. विशेष आरक्षण अर्हता रखने वाले (विकलांग/भूतपूर्वसैनिक/महिला आरक्षण नियमानुसार होगी।) अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न न होने की स्थिति में सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जावेगा।
    5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
    6. एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने पर पृथक-पृथक आवेदन पत्र

प्रस्तुत करना तथा आवेदन शुल्क पृथक-पृथक जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र की श्रेणी में रखा जावेगा।

7. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगे।
8. विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें व दिशा निर्देश एवं भर्ती से संबंधित समस्त जानकारी कोरिया जिले की वेबसाइट www.korea.gov.in में देखी व डाउनलोड की जा सकेगी। भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों को कोई भी जानकारी अन्य किसी माध्यम से नहीं दिया जायेगा। भर्ती के संबंध में जानकारी के लिये समय समय पर जिले के वेबसाइट www.korea.gov.in का अवलोकन करें।
9. विज्ञापित पदों की संख्या में नवीन एवं बैकलॉग पद शामिल हैं, पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है।
10. दिव्यांग आवेदकों को चिकित्सा प्राधिकारी, (चिकित्सा प्राधिकारी, जो सरकारी सेवक नहीं है, के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की दशा में प्रारूप चार में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी अस्पताल के प्रधान का प्रतिहस्ताक्षर और मोहर) जिला मेडिकल बोर्ड से प्राप्त स्थाई जीवित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों।
11. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 के अनुसार निःशक्तता से बाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण संबंधी नियमानुसार तृतीय श्रेणी के पद में ए.एन.एम. के पदों हेतु OL, OA तथा स्टॉफ नर्स पद हेतु OL निःशक्तता का प्रकार निर्धारित किया गया है। (OL-One, Leg, OA-one Arm) इन्हीं अभ्यर्थियों में से चयन किया जायेगा।
12. आवेदकों के द्वारा किये गये आवेदन अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने पर मान्य नहीं किये जायेंगे। जिन पदों हेतु आवेदन भरे जाने हैं लिफाफे के उपर उस पद एवं कार्यक्रम का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य है।
13. ऐसे प्रमाण पत्र जिसमें अंको के स्थान पर ग्रेड दिया गया है, अर्थात अंकों की गणना ग्रेडिंग के आधार पर की गई है, उनके साथ गणना पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है। गणना पत्रक सत्यापित (संस्था अधिकारी/प्रधानपाठक द्वारा सत्यापित) नहीं होने की स्थिति में अंक निर्धारण हेतु चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार अंक प्रदाय किया जावेगा, जो कि सर्वमान्य एवं अंतिम होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) छ0ग0

आवेदन पत्र का प्रारूप

(प्रपत्र - अ)

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला-कोरिया (छ.ग.)

स्व हस्ताक्षरित  
पासपोट  
साईज फोटो

आपका विज्ञापन दिनांक .....में विज्ञापित पद (पद का नाम)..... के लिये मैं अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) .....
- आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी में) .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. माता का नाम .....
4. (अ)जन्म तिथि (अंको में) वर्ष.....माह.....दिनांक .....
- (ब) आयु 1 जनवरी 2024 की स्थिति में वर्ष.....माह.....दिन.....
- (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. जाति (सामान्य./अजा/अ.ज.जा/अ.पि.व.) .....
- (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. लिंग (पुरुष/महिला/अन्य) .....
7. छ.ग. का मूल स्थानीय निवासी है या नहीं .....

क्रमशः

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

8. क्या आप विकलांग श्रेणी के हैं .....  
 8.1 विकलांगता का प्रतिषत एवं प्रकार .....  
 8.2 भूतपूर्व सैनिक हॉ/नही .....  
 (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)  
 9. स्थायी निवास का पता .....  
 10. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता .....  
 मोबाईल नं.....  
 ई-मेलआई.डी:.....

12. शैक्षणिक योग्यता:-वांछित शैक्षणिक योग्यता का ही विवरण भरा जावे। शैक्षणिक योग्यता की जानकारी गलत/अधूरा भरे जाने पर आवेदन निरस्त किया जावेगा।

क्र०.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष	उत्तीर्ण परीक्षा का पूर्णांक	उत्तीर्ण परीक्षा का प्राप्तांक	प्रतिशत

12. अनुभव

क्र०	स्वास्थ्य संस्था का नाम	कार्य किये गये पूर्ण वर्ष की जानकारी	रिमाक

13. क्या आप विवाहित हैं। (हॉ/नही) .....

14. संलग्न सत्यापित प्रमाणपत्रों की सूची व संख्या:-

- आठवीं, दसवी एवं बारहवी की अंकसूची
- शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी सेमेस्टर/ वर्षों का)
- भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित प्रमाण पत्र
- संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाण पत्र स्थायी/सत्यापित
- दिव्यांग प्रमाण पत्र जीवित
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक ड्राफ्ट की मूलप्रति
- अनुभव/अन्य

**घोषणा पत्र**

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है। जो किसी भी स्थिति में असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जावेगी तथा भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जाएंगे।

स्थान:-.....

दिनांक:-.....

**आवेदक के हस्ताक्षर**

नाम.....

पूर्ण पता.....

**छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग**

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-1, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

दूरभाष (का.) 0771-2439564, फैक्स: 0771-2331525, 2446556 वेबसाईट: www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 2581/04/परीक्षा/2024 रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2024

**व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) मुख्य परीक्षा-2023 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना**

व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) मुख्य परीक्षा-2023 दिनांक 25 अगस्त 2024 को जिला-रायपुर, एवं बिलासपुर (छ.ग.) के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसकी समय सारिणी निम्नानुसार है:-

DATE	DAY	TIME
25.08.2024	SUNDAY	10:00 AM TO 01:00 PM

उक्त परीक्षा हेतु आयोग द्वारा प्रवेश पत्र दिनांक 15.08.2024 को जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र व्यक्तिशः नहीं भेजा जायेगा।

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

आर.ओ.88/जी-242501900/3

**कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा**  
स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19,  
नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक/Q-2/छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2024 रायपुर, दिनांक / 12.08.2024

**छ.ग. राज्य शासकीय एवं निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में NEET- UG (MBBS & BDS) पाठ्यक्रम में प्रवेश वर्ष 2024 हेतु ऑनलाईन आवेदन सूचना**

छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस /बीडीएस) में प्रवेश वर्ष 2024 हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। सभी आवेदक ऑन लाईन पंजीयन करने के पूर्व क्रमांक एफ 21-02/2018/नौ/55-4 छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2018 (विशेषकर आरक्षण / काउंसिलिंग प्रक्रिया/बॉण्ड इत्यादि) एवं सूचनापत्र (Information Bulletin) का पूर्णतः अध्ययन कर ही ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ करें, जो संचालनालय की वेबसाईट www.cgdme.in एवं एनआईसी की वेबसाईट www.cgdme.admissions.nic.in में उपलब्ध है।

क्र	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ तिथि	दिनांक 18 अगस्त 2024, समय Server Time 11:00 Hrs (11:00 AM) से
2	ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि	दिनांक 24 अगस्त 2024, समय Server Time 23:59 Hrs (11:59 PM) तक
3	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग (Choice Filling and Locking)	दिनांक 18 अगस्त 2024 समय Server Time 11:00 Hrs (11:00 AM) से दिनांक 25 अगस्त 2024 समय Server Time 23:59 Hrs (11:59 PM) तक

ऑनलाईन आवेदन शुल्क (Non Refundable)	1. अनारक्षित श्रेणी (UR) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी हेतु रू. 1000/- (रू. एक हजार मात्र) 2. अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी हेतु रू. 500/- (रू. पांच सौ मात्र) 3. अप्रवासी भारतीय नियतांश (NRI) हेतु रू. 10000/- (रू. दस हजार मात्र)
-------------------------------------	---

पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि) (Registration Fee / Security Deposit):- यह राशि वापसी योग्य (रू. पांच सौ मात्र) 3. अप्रवासी भारतीय नियतांश (NRI) हेतु रू. 10000/- (रू. दस हजार मात्र) (Refundable) है, किन्तु द्वितीय काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त प्रवेश नहीं लेते हैं, तथा प्रवेश लेकर सीट त्यागते हैं तो, यह राशि राजसात (Forfeit) कर ली जायेगी। यह पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि) बीडीएस पाठ्यक्रम में लागू नहीं है।

(केवल पंजीयन राशि हेतु देखें भारत का राजपत्र असाधारण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् संशोधन अधिसूचना नई दिल्ली, 18 मई, 2018 सं. मा.आ.प.-34(41)/2018-मेड/109835 के नियम 5 की तालिका क्रमांक-4)

श्रेणी	शासकीय महाविद्यालय हेतु पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि)	निजी महाविद्यालय अथवा निजी महाविद्यालय + शासकीय महाविद्यालय हेतु पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि)
UR	10000/- (रू. दस हजार मात्र)	100000/- (रू. एक लाख मात्र)
SC/ST/OBC	5000/- (रू. पांच हजार मात्र)	100000/- (रू. एक लाख मात्र)

ऑनलाईन पंजीयन से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट www.cgdme.in एवं www.cgdme.admissions.nic.in का अवलोकन करें।

अध्यक्ष,

काउंसिलिंग समिति,  
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

आर.ओ.87/जी-242501817.5

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

छत्तीसगढ़

# HIGH COURT OF CHHATTISGARH: BILASPUR

## DISTRICT JUDGE (ENTRY LEVEL) EXAMINATION 2023

### DIRECT RECRUITMENT FROM ADVOCATES (BAR)

Adv. No.02/S & A Cell/ 2024 Date :05/08/2024	Last date & time for receipt of application in the Registry	Date & day of Written Examination
	Date: 31/08/2024 Time: 5:00 P.M.	10/11/2024 (Sunday)

#### One- Vacancy and Pay Scale :-

Applications are invited for the post of District Judge (Entry Level) in Chhattisgarh Higher Judicial Service in the revised pay scale Rs. 144840-194660 under Level J-5 of new pay matrix in the cadre of Higher Judicial Service by direct recruitment from Advocates (Bar). Recruitment to these posts and conditions of service shall be governed by the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules 2006, as on the last date of submission of application forms.

Particulars	No. of Vacant Posts		Total	Reserved for women Year 2023
	Year 2023	Carried Forward (re-advertisement for the year 2022)		
(a) Unreserved	30	-	30	09
(b) Scheduled Castes	02	-	02	-
(c) Scheduled Tribes	02	-	02	-
(d) Other Backward Classes	02	01	03	-
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>01</b>	<b>37</b>	<b>09</b>

Note- Number of vacancies may vary.

#### Two- Eligibility :-

- (a) **No person shall be eligible for appointment by direct recruitment unless, he or she –**
- is a citizen of India,
  - has attained the age of 35 years and has not attained the age of 45 years on the first day of January in the year in which applications for appointment are invited i.e. **01/01/2024**.  
Provided that where a candidate who was eligible in age to apply for appointment in the year 2023 i.e. as on 01/01/2023, shall also be eligible to apply against the advertisement in terms of the proviso to the Rule 7 (1) of Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules 2006.  
Provided further that upper age limit shall be relaxed upto a maximum limit of 3 years for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.
  - Possess a degree in law of a university established or incorporated by or under a central Act or a State Act or an institution recognized by the U.G.C. or any other equivalent qualification.
  - has for at least seven years been an advocate as on **01/01/2024**. In other words, the applicant must be practicing as on **01/01/2024** as an Advocate and must have so practiced for a period of not less than seven year as on such date.
  - has good character and is of sound mind and body and free from any bodily and mental disability which renders him unfit for such appointment.
- (b) **A person shall be disqualified for appointment by direct recruitment, if, he or she -**
- has more than one spouse living,
  - has been dismissed or removed from service by any High Court, Government, Statutory Authority, Local Authority or any other Authority.
  - has been convicted of an offence involving moral turpitude or has been permanently debarred or disqualified by any High Court or Union Public Service Commission or any State Public Service Commission or any Service Selection Board or Staff Selection Commission constituted under statutory provisions by the Government;
  - has been found guilty of professional misconduct under the provisions of the Advocates Act, 1961 or any other law for the time being in force.

#### NOTE:-

- The post reserved for **Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are reserved only for SC, ST and OBC who are the bonafide residents of Chhattisgarh State**. The applicants, who are bonafide residents of other states and recognized as Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in their own states will be considered only

against the unreserved posts.

- The candidates belonging to OBC category must not come under creamy layer.
- In view of Hon'ble Supreme Court judgment dated 06/04/2017, 18/08/2017 and 04/07/2019 in the matter of Civil Appeal No.3609 of 2017 (Deepa E.V. Vs. Union of India & Ors.), Civil Appeal No.8351 of 2017 (Gaurav Pradhan & Ors. Vs. State of Rajasthan & Ors.) and Civil Appeal No.5185 of 2019 (Niravkumar Dilipbhai Makwana Vs. Gujrat Public Service Commission & Ors.) respectively, only such SC/ST/OBC candidates who are selected on the same standards as applied to general candidates shall not be adjusted against reserved vacancies.

#### Three - Application form & testimonials :

- Interested candidates must submit their applications in the format available on the website i.e. <https://highcourt.cg.gov.in> along with duly attested certificates / testimonials relating to their date of birth, castes, qualification, domicile, experience of practice etc. as required.
- All the Prosecuting Officers / Law Officers who are being treated as Advocates as per the judgment of the Supreme Court (in Civil Appeal No. 561 of 2013 – Deepak Agarwal Vs Keshav Kaushik and Others ) shall have to produce **No Objection Certificate** of the Competent Authority as and when called for.
- The applicant shall furnish a certificate from the Secretary General of the Supreme Court of India/ Registrar General / Registrar of the High Courts / Principal District & Sessions Judge concerned, bearing legible seal with date, month & year of its issuance regarding his / her practice as an Advocate as per format annexed.

#### Four - Examination Fees ( Non Refundable )

- Rs. 1000/- for all the candidates belonging to Unreserved Category and for all the candidates who are not the residents of Chhattisgarh state irrespective of their categories.
- Rs. 700/- for the candidates who are bonafide residents of Chhattisgarh state belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as notified for the State of Chhattisgarh (Relevant certificate must be enclosed).

**Examination Fee is to be deposited only in the form of Challan with SBI branches through Core Banking Network all over India. Therefore, original copy of Challan must be attached to application form. Challan form is available along with application form on our website i.e. <https://highcourt.cg.gov.in>**

#### Most important-

- Fee in the form of Cash, Money Order, Bank Draft or Cheque shall not be accepted in any case and such applications shall be rejected for want of adequate fee.
- Before sending the challan, the candidates must ensure and be satisfied that there is no default. In case the challan is found defective or incomplete, the application shall be treated as rejected.
- Fee shall not be refunded in any case.
- In case of receipt of application after expiry of the last date or in case of rejection of the application the fee shall not be refunded.

#### Five – Instructions / Information for filling the application form.

- Application must be submitted only in the proforma available on the website of Chhattisgarh High Court i.e. <https://highcourt.cg.gov.in>. The application form must be computer-printed or downloaded in A4 size paper.
- The bonafide residents of Chhattisgarh belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes should specify their category in the application form.
- The application duly filled in and signed along with Identity-Sheet & **four (04) identical and recent passport size self attested photographs** with name and address of the applicant on the back of the photographs affixing one photograph on application form, one photograph on Identity-Sheet and two photographs to be stapled at the space provided in the application form and **Two self addressed envelope (11" x 5")** stamped with postal stamps of

Rs.25/- each addressed to the **Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bodri, Bilaspur (C.G.) Pin - 495220**, must reach the Registry of this High Court on or before **31/08/2024 till 5:00 P.M.** The words **"Application for District Judge (Entry Level) Examination 2023 by direct recruitment from Advocate (BAR) and the Advt. No.02/ S & A Cell/2024"** must be written on the top of the envelope (14"x10") containing the application form.

- (d) Last date for submission of duly filled in and signed application is **31/08/2024 till 5:00 P.M.** It is the responsibility of the applicants that their applications must reach the Registry by 5:00 p.m. of the last date. The applications may also be submitted by dropping them in the **"Box"** kept therefor in the Registry office during the office hours i.e. from 10.15 a.m. to 5.00 p.m. on every working day till the last date. The applications received in the Registry office by post till 5:00 p.m. on the last date shall only be entertained. Registry will not be responsible for any postal delay.
- (e) Candidates must ensure that they fulfill all the terms and conditions as per the advertisement and other applicable rules pertaining to recruitment for the said post.

**Address for sending the application :-**

**The Registrar General  
High Court of Chhattisgarh  
Bodri, BILASPUR (C.G.),  
Pin Code - 495220**

**Six - Summarily rejection of Application :**

- (a) The applications received after stipulated date and time shall not be entertained.
- (b) The candidates must ensure that the application is complete in all respect enclosing all the necessary documents and original copy of challan. Documents received after the last date shall not be entertained.
- (c) Incomplete / unsigned application shall be rejected summarily and no communication shall be entertained in this regard.

**Seven - Examination :-**

- (a) Eligible candidates shall be required to appear in written examination at the exam-centre and for viva-voce at their own expenses before the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur or at such other places as may be specified by the High Court.
- (b) The candidates will be called for viva-voce in the ratio of 1:3 in order of merit on the basis of their performance in the written examination, provided that a candidate appearing in the written examination for selection by direct recruitment from amongst the eligible candidates must secure 60% marks in case of Unreserved Category and 50% marks in case of Reserved Category who are the bonafide residents of Chhattisgarh State to qualify for viva-voce.
- (c) The Candidates belonging to unreserved category shall have to secure minimum 33% marks and those belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall have to secure minimum 25% marks in the viva-voce.
- (d) Appendix 'A' for scheme of Examination and syllabus shall be applicable.
- (e) Candidates shall be selected in order of merit on the basis of aggregate marks obtained by them in the written examination and viva-voce.
- (f) The selected candidates, before their appointment, shall be required to undergo medical examination by a Medical Board at their own expenses.

**Eight- Admit-card :-**

Admit cards will only be made available on the website of our High court i.e. <https://highcourt.cg.gov.in> preferably before 15 days prior to the date of written examination. The candidates are required to download and get the printout of the admit cards from our website.

**Nine - Incomplete or false information :-**

- (a) Candidates must ensure that they fulfill the eligibility criteria / requirements as stipulated in the Advertisement. Permission to appear in District Judge ( Entry Level ) Examination does not indicate that the data provided by the candidate in application with respect to eligibility criteria have been verified and finally accepted by this Hon'ble High Court as the detailed scrutiny of applications for eligibility and other aspects for the written examination will not be undertaken at this stage and therefore, the candidature will be treated as provisional. Merely possessing the prescribed qualifications and requisite experience would not entitle a candidate to be called for the written test / viva voce. Therefore, the candidates must ensure that they fulfill all eligibility criteria in all respects. If it is found at any stage of selection and appointment process that they do not fulfill the stipulated criteria, their candidature will be cancelled and no fee will be refunded.
- (b) If any of the particulars furnished in application and enclosures thereto are found to be false/frivolous/incorrect or if the candidate is found to have suppressed any material fact, their candidature shall be

liable to be cancelled at any stage of the selection process and, if selected / appointed, their services shall be liable to be terminated and the applicant may also liable to be prosecuted on that count.

**Note-** The candidates remaining absent in the viva-voce shall be disqualified for the selection.

- Ten-**
- (a) The applications under Right to Information Act for certified copy / inspection of answer sheet of written examination may not be entertained after 6 months from the date of declaration of final result as the concerned records are liable to be eliminated.
- (b) The Prosecuting Officers / Law Officers will be treated to be an Advocate as per the judgment of Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 561 of 2013 – Deepak Agarwal Vs Keshav Kaushik and Others.
- (c) No correspondence with regard to the examination will be entertained at any stage of the examination.

**Registrar General**

**Appendix 'A'**

**DISTRICT JUDGE (ENTRY LEVEL) EXAMINATION SCHEME - 2023**  
The Competitive Examination of 2 papers of 3 hours each for Recruitment of District Judge (Entry Level) by Direct Recruitment from Advocate (Bar) shall consist of :-

**Written Examination:-**

**I- Paper-I Law**

**(Maximum marks 100)**

- (A) The Code of Civil Procedure, 1908  
The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (No.47 of 2023)  
The Limitation Act, 1963  
The Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 12 of 2012)  
(Maximum marks – 25)
- (B) The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No.46 of 2023)  
The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (No.45 of 2023)  
The Prevention of Corruption Act, 1988  
The Chhattisgarh Excise Act, 1915  
The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989  
The Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985  
(Maximum marks – 25)
- (C) The Transfer of Property Act, 1882  
The Indian Contract Act, 1872  
The Specific Relief Act, 1963  
The Indian Forest Act, 1927  
The Wild Life (Protection) Act, 1972  
The Environment (Protection) Act, 1986  
(Maximum marks – 25)
- (D) Principles of Pleading  
Conveyance  
The Constitution of India  
(Maximum marks – 25)

**II- Paper-II Law**

**(Maximum marks 100)**

- (A) Framing of Issues and writing of Judgment in Civil Cases.  
(Maximum marks 40)
- (B) Framing of charges and writing of Judgment in Criminal Cases.  
(Maximum marks 40)
- (C) Translation- (Maximum marks 20)  
(a) English to Hindi - 10 marks  
(b) Hindi to English - 10 marks

**III-Viva Voce**

**20 marks**

**APPLICATION-FORM**

**(Must be Computer printed or downloaded in A4 Size paper)**

**High Court of Chhattisgarh, Bilaspur**

**APPLICATION FOR THE POST OF DISTRICT JUDGE (ENTRY LEVEL)  
DIRECT RECRUITMENT EXAMINATION 2023**

Roll No.

(For office use only)

Affix here your  
Recent passport  
size  
3.5 x 4.5 cm. self  
attested  
photograph  
(not to be stapled)

Place for Signature

Place for Thumb Impression  
(Left Thumb for Male/ Right Thumb for Female)

1. Full name in **BLOCK LETTERS** :.....
2. Father's/Husband's Name  
in **BLOCK LETTERS** :.....
3. Gender (Male/Female/Third Gender)  
in **BLOCK LETTERS** :.....
4. Category (Unreserved/SC/ST/OBC) :.....
5. Whether Domicile of State of Chhattisgarh Yes / No  
( Please tick )
6. Address for Correspondence :.....  
in **BLOCK LETTERS** :.....
7. Contact No. and :.....  
E-Mail address :.....
8. Permanent Address :.....  
in **BLOCK LETTERS** :.....
- 9.(i) Date of Birth :.....  
(ii) Particulars / Description of  
certificate enclosed in support  
of date of birth. :.....

- 10.(i) Age as on 01.01.2024 Year.....Month.....Day.....  
(ii) Whether you are claiming age relaxation? :.....  
(iii) Whether you are claiming fees relaxation? :.....  
( If yes, specify your category  
i.e. SC/ST/OBC ) :.....

11. Year of securing Law Degree :.....
12. Date of enrollment as an Advocate :.....
13. Number of years of active practice as an :.....  
Advocate and place or places where the :.....  
candidate has practiced

14. (a) Have you ever been arrested? \_\_\_\_\_  
(b) Have you ever been prosecuted? \_\_\_\_\_  
(c) Have you ever been kept under detention? \_\_\_\_\_  
(d) Have you ever been bound down? \_\_\_\_\_  
(e) Have you ever been fined by a court of law? \_\_\_\_\_  
(f) Have you ever been debarred from any  
Examination or rusticated by any University or any  
other educational authority/Institution ? \_\_\_\_\_  
(g) Have you ever been debarred/disqualified by any  
Public Service Commission from appearing at its  
Examination/selection ? \_\_\_\_\_  
(h) Is any case pending against you in any court of law  
at the time of filling up this application form? \_\_\_\_\_  
(i) Is any case pending against you in any University  
or any other educational authority/Institution at the time  
of filling up this application form ? \_\_\_\_\_  
(j) Whether you were ever convicted by a Criminal Court? (If so, when, for  
what offence and by which court?) \_\_\_\_\_  
(k) Have you ever been found guilty of professional misconduct under the  
provisions of the Advocates Act, 1961 or any other law for the time being  
in force ? \_\_\_\_\_

**Note:- All queries from 14(a) to 14(k) above must be answered in 'Yes' or 'No'. If the answer to any of the above questions is in 'Yes' please give specific particulars and annex the relevant documents:-**

.....  
.....  
.....

15. Whether the candidate is under financial :.....  
debt ? If so, to whom and to what extent?

16. Details of Examination fee:-  
i- Amount of Challan :.....  
ii- Transaction ID & date of deposit :.....  
iii- Name, Address and code of Bank :.....

17. Details of Educational Qualifications :-

S. No.	Name of Exam	Board/ University	Year of Passing	Percentage of Marks
1.	High School			
2.	Higher Secondary			
3.	Graduation			
4.	Post Graduation			
5.	LL.B			
6.	Any other Qualification			

18. Present Occupation & Place: - :.....

I hereby declare that the particulars/information given by me in the application form are true, correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Place:.....  
Date:.....

Signature of the Candidate

**No. of Enclosures:-** .....

\*\*\*\*\*

**Space for extra photograph (to be stapled)**

NOTE:- Please do not paste the photograph.

**Space for extra photograph (to be stapled)**

NOTE:- Please do not paste the photograph.

**HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR  
LIST OF ENCLOSURES**

District Judge (Entry Level) Direct Recruitment Examination 2023

S.No.	Details of Enclosures
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
<b>Total No. of enclosures</b>	

Signature of the candidate

Date:..... क्रमशः

**ANNEXURE  
EXPERIENCE CERTIFICATE  
( This certificate must accompany the application)**

Certified that Shri/Smt./Ku..... Son/  
wife/daughter of Shri..... is enrolled  
with the Bar council of ..... having enrolment  
no. ....dated.....

He / She is a practicing Advocate as on 01/01/2024 in this court  
and is in actual practice for a period of not less than seven years as on  
01/01/2024.

Place :- .....

**SECRETARY GENERAL OF  
SUPREME COURT OF INDIA/  
REGISTRAR GENERAL /  
REGISTRAR OF HIGH COURT/  
PRINCIPAL DISTRICT &  
SESSIONS JUDGE**

Date:- .....

(Sign & Seal)

**Note :-** Candidates must furnish experience certificate in the above  
proforma and ensure that the date, month and year of issuance  
must be legibly mentioned by the Issuing Authority.

**INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES**

- Please read all the instructions cautiously mentioned in the advertisement relating to this examination. Do not provide wrong or incomplete information.
- Application format must be downloaded or computer printed in A4 size paper.
- All the columns of the application must be filled by the applicant in his/her own hand writing.
- Self attested identical and recent passport size photographs must be affixed / stapled at the appropriate place on the Application Form & Identity-Sheet. Name and address of the candidate must be written on the back of all the four photographs.
- Candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Class who are bonafide residents of Chhattisgarh state shall only be entitled for getting benefit of reservation. The candidates of other states shall be treated in unreserved category.
- Candidates of SC, ST and OBC category must ensure that the **Caste Certificate attached is valid in all respects. Caste Certificate of temporary validity issued by Tahsildar must have continuing validity at the time of application.**
- Application form must be filled in English in BLOCK LETTERS only in Blue or Black ink.
- For age / fees relaxation attested copy of Caste Certificate must be attached.
- Two self addressed envelopes (11 x 5 inch) stamped with postal stamps of Rs. 25/- each must be attached.
- Fee must be furnished in the form of Challan only with SBI branches through Core Banking Network and original copy of Challan must be attached to application form. Challan form is available along with application form on our website i.e. <https://highcourt.cg.gov.in>.
- The particulars in Challan must be filled in very cautiously. On account of incomplete / wrongly filled Challan, the application shall be rejected. Please note that Name & Address of the Candidate must be identical on the Application Form, Identity-Sheet and Challan as well.
- Application form must be accompanied by duly attested copies of marks sheets of High School, Higher Secondary, Graduation, Law, Caste certificate, Domicile certificate along with other necessary certificates and these enclosures must be mentioned in the format for list of enclosures which is given along with the application.
- Experience Certificate must be issued only by the Secretary General of Supreme Court of India/ Registrar General / Registrar of High Courts/ Principal District & Sessions Judge.
- Legal size paper for Challan must be used.

- Do not fold the application form and testimonials, certificates etc.
- At the time of appearing in the Written Examination/Viva-voce, candidates shall have to produce identity proof in original i.e. Voter ID Card or Identity Card of Bar Council of the State or PAN Card or Driving License or Aadhaar Card or any recognized photo identity proof along with the hard copy of Admit Card.
- Application must be sent in envelope having size 14"x10".
- Application form and documents must be arranged in following order:-  
1. Application form 2. Challan (in Original)  
3. Experience Certificate in prescribed format 4. Identity sheet  
5. Testimonials etc. 6. Self Addressed Envelopes.

\*\*\*\*\*

**HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR  
IDENTITY-SHEET**

District Judge (Entry Level) Direct Recruitment Examination 2023

Examination Centre:  
(for office use only)

Roll No.

(for office use only)

**Date & Time of Examination 10/11/2024 (Sunday)**

Paper-I-Law- 8:00 A.M. to 11:00 A.M. & Paper-II-Law - 02:00 P.M. to 05:00 P.M.

(To be filled by candidate)

Candidate's Name : .....

Father's / Husband's Name:.....

Date of Birth :..... Gender :.....

Domicile of C.G.(Yes/No) :.....Category : .....

(unreserved/SC/ST/OBC)

Correspondence Address : .....

Candidate's Signature

Candidate's Thumb Impression  
(Left Thumb for Male / Right Thumb for Female)

**Affix here your  
Recent passport  
size  
3.5 x 4.5 cm. self  
attested  
photograph  
(not to be stapled)**

**Candidate's Signature and Thumb Impression in Examination Hall  
(NOTE : Left Thumb for Male / Right Thumb for Female)**





Signature Thumb Impression  
(Paper I LAW)

Signature Thumb Impression  
(Paper II LAW)

Answer sheet No. ....

Answer sheet No. ....

**Verified the signature and photo of the candidate.**

(Signature of the invigilator)  
(Paper I LAW)

(Signature of the invigilator)  
(Paper II LAW)

Signature of Centre Head / Incharge  
(With Seal)

Note :- Before sending the application form alongwith Identity Sheet the candidate must ensure that the information filled in the Identity Sheet is correct and he / she has put his / her Signature and thumb impression at the appropriate space.

**कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला कबीरधाम छ.ग.**

क्रमांक/स्थापना/अविज्ञप्त/ सीधी भर्ती/2024/4988

कबीरधाम दिनांक 29.07.2024

//सूचना//

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला), ड्रेसर ग्रेड 01 एवं ड्रेसर ग्रेड 02 के दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 08.09.2023 तक विभागीय ईमेल आई डी cmho12kabirdham@gmail.com के माध्यम से दावा आपत्ति मगाया गया था। इस अवधि में प्राप्त दावा आपत्ति का चयन समिति द्वारा परीक्षण उपरांत दावा आपत्ति का निराकरण कर निराकरण सूची जारी किया गया था। अतएव उक्त पदों की मेरिट सूची तथा संवर्ग वार सूची जारी किया गया है। उक्त संवर्गवार सूची के आधार पर 1 अनुपात 10 में अभ्यर्थियों का सूची जारी किया गया है। दस्तावेज सत्यापन हेतु जानकारी जिनकी सूचना पृथक से जारी किया जायेगा। उक्त सूची जिले के वेबसाईट <http://kawardha.gov.in> एवं विभागीय वेबसाईट [www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in) उपलब्ध है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला कबीरधाम छ.ग.

# कार्यालय प्राचार्य, श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई. रोड रायपुर (छत्तीसगढ़) 492010

Web site: www.gacraipureg.in Jel/Fax No.:- 0771-2263396 E-mail- ayurvediccollege@gmail.com

क्रमांक/पैरामेडिकल/2024/ 3899

रायपुर, दिनांक 12/08/24

## आयुर्वेद फार्मासिस्ट एवं पंचकर्म सहायक 01 वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसिलिंग कार्यक्रम की सूचना काउंसिलिंग स्थान शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.) काउंसिलिंग दिनांक :- 23.08.2024 (शुक्रवार)

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) में संचालित आयुर्वेद फार्मासिस्ट एवं पंचकर्म सहायक 01 वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों की तैयार प्रावीण्यता सूची महाविद्यालय के वेबसाइट में प्रकाशित की गयी है। उक्त सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को निम्नानुसार द्वितीय काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है। अभ्यर्थी इस सूचना को ही बुलावा पत्र मानते हुये काउंसिलिंग में अवसर लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं। आवंटन उपरांत आयुर्वेद फार्मासिस्ट एवं पंचकर्म सहायक हेतु कुल 10 सीट रिक्त है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	अनारक्षित	अ.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल सीट
01	आयुर्वेद फार्मासिस्ट	निरंक	01	निरंक	निरंक	01
02	पंचकर्म सहायक	04	01	निरंक	04	09
कुल						10
समय-सारणी						
दिनांक	श्रेणी / संवर्ग	रजिस्ट्रेशन का समय			10+2 बारहवीं परीक्षा में विषयों (भौतिक, रसायन एवं जीवविज्ञान) के कुल प्राप्तांक	
23.08.2024 (शुक्रवार)	अनारक्षित	प्रातः 10:30 बजे से 11:30 बजे तक			292 से 176 तक	
	अनुसूचित जाति	प्रातः 11:30 बजे से 12:30 बजे तक			291 से 176 तक	
	अन्य पिछड़ा वर्ग	दोपहर 12:30 बजे से 01:30 बजे तक			292 से 176 तक	

सभी अभ्यर्थी निम्नलिखित समस्त मूल प्रमाण पत्रों अंकसूचियों एवं उनकी दो सेट की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित काउंसिलिंग हेतु निर्धारित दिनांक, स्थान एवं समय पर उपस्थित होंगे। उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी प्रवेश का अवसर खो देंगे। काउंसिलिंग में उपस्थित होना प्रवेश की गारंटी नहीं है।

### प्रमाण-पत्रों का क्रम :-

- दो पासपोर्ट साईज फोटो।
- 10 वीं की अंकसूची।
- 12वीं की अंकसूची।
- स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र।
- गैप सर्टिफिकेट (अंतराल अवधि)

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण-पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। (केवल आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिये।) जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र के साथ जाति सत्यापन संलग्न किया है उन्हें भी काउंसिलिंग के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ओ.बी.सी. (अन्य पिछड़ा वर्ग) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों को पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2023-24, 2022-23, 2021-22) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अभ्यर्थी के पिता का आय प्रमाण-पत्र।
- सेवारत होने की स्थिति में नियोजक संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.)।
- यदि उपनाम परिवर्तित है तो उपनाम परिवर्तन सम्बन्धी शपथ पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों की दो सेट की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ में मूल प्रमाण पत्रों/ अंकसूचियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में अध्ययनरत होने पर उस संस्था के प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा है तो उस संस्था के प्रमुख द्वारा तत्संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- अन्य कोई प्रमाण-पत्र जिसका उल्लेख आवेदन में किया गया है।
- किसी भी विवाद की स्थिति में काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

### शुल्क :-

अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र), अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों के लिए रु. 6,000/- (छ: हजार रुपये मात्र) काउंसिलिंग के समय नगद ऑनलाईन माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को पृथक से समय नहीं दिया जायेगा तथा उसका चयन निरस्त किया जायेगा।

प्राचार्य

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय  
रायपुर (छ.ग.)

आर.ओ.86/जी-242501809.3

## कार्यालय कलेक्टर, जिला-नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

### (आदिवासी विकास शाखा)

दूरभाष (कार्यालय) 07781-252881, (फैक्स) 252920 Email-collector.assttw.narayanpur@gmail.com

### :: निजी चिकित्सक पद हेतु द्वितीय विज्ञापन ::

छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग रायपुर के स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ-15-4/2007/25-2 आजाक/6464 रायपुर दिनांक 16.08.2007 के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति "स्वास्थ्य तन स्वस्थ मन" (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना वर्ष 2007 अंतर्गत नारायणपुर जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा की अनुपलब्धता वाले छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण स्थानीय स्तर पर अनुबंध के आधार पर किये जाने हेतु निजी चिकित्सकों (एम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस.) से निम्नांकित शर्तों के अधीन आवेदन दिनांक 27.08.2024 तक सांय 5:30 बजे कार्यालयीन कार्य दिवस तक आमंत्रित किया जाता है।

- प्रत्येक संस्था हेतु चिकित्सकों का अनबंध शैक्षणिक सत्र 2024-25 (माह अप्रैल 2025 तक) के लिये होगा।
- चिकित्सक को माह में कम से कम दो बार अनुबंधित संस्था के छात्र-छात्राओंको स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना होगा तथा स्वास्थ्य संबन्धी सलाह एवं सुझाव दिया जाना होगा।
- अनुबंधित चिकित्सक को 50 सीटर छात्रावास/आश्रम के छात्र/छात्राओं के चिकित्सक परीक्षण रूपये 750/ प्रति भ्रमण एवं 100 सीटर हेतु रूपये 1200/- प्रति भ्रमण मानदेय दिया जायेगा। हेतु

- चिकित्सक को प्रत्येक छात्रावास/आश्रम का स्वास्थ्य परीक्षण उपरान्त एक स्वास्थ्य पंजी में दर्ज किया जाना होगा तथा सभी छात्राओं का हैल्थ कार्ड भी तैयार किया जाना होगा, प्रत्येक विवरण भ्रमण के अंतराल में न्यूनतम 15 दिन का अंतर होना अनिवार्य होगा, विशेष परिस्थिति में विभाग छात्रावास/आश्रम अधीक्षक के द्वारा चिकित्सक को उपरोक्त अवधि के पूर्व भी स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जा सकता है।
- अनुबंधित चिकित्सक यथा संभव अवकाश के दिन छात्रावास/आश्रमों में भ्रमण हेतु कार्यक्रम बनायेगें जिससे विद्यार्थियों के पढ़ाई में किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न न हो। चिकित्सक एक या एक से अधिक संस्थाओं के लिए अनुबंधित किये जा सकेंगे।
- छात्र/छात्राओं की दवा एवं ईलाज पर व्यय शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
- स्वस्थ तन-स्वस्थ मन हेतु आवेदन करने वाले चिकित्सक किसी शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में संविदा/नियमित रूप से कार्यरत नहीं होना चाहिए, तत्संबन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास नारायणपुर

आर.ओ.85/जी-242501899.4

# कार्यालय प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित बलौदाबाजार वनमण्डल, नया बस स्टैण्ड के सामने बलौदाबाजार

Mail-dir-sportsyw.cg@gov.in

क्र./01

दिनांक 01/08/2024

जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित बलौदाबाजार, वनमण्डल बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, गनियारी, अर्जुनी, बलौदाबाजार, धनेली एवं बिलाईगढ़ के रिक्त समिति प्रबंधक (05) पद पर नियुक्ति के लिए "प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम 2016" के तहत पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2024 से दिनांक 30/08/2024 शाम 05:00 बजे तक कार्यालय प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित बलौदाबाजार, नया बस स्टैण्ड के सामने, बलौदाबाजार, वनमण्डल बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग.) पिनकोड 493332 में आमंत्रित किया जाता है। रिक्त समिति प्रबंधक पद का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	प्राथ, वनो, सह. समिति का नाम	नाम पद	रिक्त पद कुल	आरक्षित वर्ग	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के कार्य क्षेत्र में आने वाले तेंदूपत्ता फड़/ग्राम का नाम जहां के निवासी आवेदन कर सकते हैं।	कार्यालय जहां आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना है	एकमुश्त वेतन
1	गनियारी	प्रबंधक	1	अनारक्षित	निठोरा अ. निठोरा ब, छाता, नगेड़ा, गनियारी, करमेल, नगेड़ी।	कार्यालय प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार नया बस स्टैण्ड के सामने बलौदाबाजार जिला - बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग.) 493332	20675.00
2	अर्जुनी	प्रबंधक	1	अनारक्षित	अर्जुनी, गाजरडीह, सराईपाली, सिरमाल, कुकरीकोना, गिण्डोला, खोसड़ा, महकोनी, महराजी, दलदली।		20675.00
3	बलौदाबाजार	प्रबंधक	1	अनारक्षित	भरसेला, गैतरा, भाटागांव, सलौनी, देवरी, ढाबाडीह, सोनाडीह, खपरी, मेंढ़, मोहतय, लटुआ		20675.00
4	धनेली	प्रबंधक	1	अनारक्षित	केसला, रामपुर, पासिद, पथरिया, पाटन, धनेली, चिचपोल, गुड़ा, कुकदा, धुराबांधा, बिटकुली, मोपका।		20675.00
5	बिलाईगढ़	प्रबंधक	1	अनारक्षित	टैगनाकछार, गोंदली, सुतीउरकुली, रनोडीह, भाण्डोरा, खुरसुला, मौहाडीह, बरेली, मानाकोनी, मलुहा, पचपेडिया, रानीगढ़, गिरौद, कौवाताला।		20675.00

- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.08.2024 शाम 5:00 बजे के बाद प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होगा।
- पोस्ट/डाक कार्यालय द्वारा आवेदन विलंब से प्रेषित करने की स्थिति में इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- आवेदन पत्र का प्रारूप एवं नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताएँ, आयु सीमा, अन्य आर्हताएँ, चयन प्रक्रिया तथा वेतन भत्ते संबंधित जानकारी जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित बलौदाबाजार वनमण्डल बलौदाबाजार से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है या छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर के वेबसाइट [www.cgmfpfed.org](http://www.cgmfpfed.org) के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति में प्रबंधक पद नियुक्ति तथा निर्धारित आर्हता एवं चयन प्रक्रिया

नियुक्ति हेतु निर्धारित आर्हताएं योग्यतायें :-

## 1. शैक्षणिक योग्यता :-

- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण होगी।
- अभ्यर्थी का, संस्था/समिति क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा।
- यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संस्था/समिति क्षेत्र के ऐसे संग्रहक परिवार से हो, जिसने नियुक्ति के पूर्व के 05 वर्ष 2020 से 2024 तक में से कम से कम तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्डी तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य किया हो।
- छत्तीसगढ़ शासन या केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर का एक वर्षीय डिग्री/ डिप्लोमा होना आवश्यक है।

## 2. आयु सीमा :-

- 01 जनवरी 2024 को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम अथवा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर कीमीलेयर) का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

- छत्तीसगढ़ राज्य के भूतपूर्व सैनिक, अजजा अजा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त एवं स्वयं सेवी नगर सैनिकों को छ.ग. शासन के नियमानुसार आयु में शिथिलता प्रदान की जावेगी।
- उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छूट दिये जाने के उपरान्त भी संघ के सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

## 3. अन्य अर्हतायें :-

- मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।
- अन्य किसी भी सेवा नियोजन का गबनशुदा न हो, आर्थिक अथवा अन्य किसी अपराध के लिये कार्यवाही जारी/पंजीकृत न हो, किसी न्यायालय से सजायाफ्ता न हो।
- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी संचालक का परिभाषित संबंधी न हो।
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के संस्था समिति क्षेत्र का मूल निवासी होना चाहिये। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
- आवेदन पत्र दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही जमा किये जावे।
- रोजगार कार्यालय में आवेदक का पंजीयन जीवित हो, पंजीयन की स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
- उम्मीदवार आवेदन पत्र के लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक एवं पद का नाम स्पष्ट लिखे एवं स्वयं का पता लिखा 5/- रुपये का डाक टिकट लगा 02 खाली लिफाफा (10"x 4") अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
- आरक्षित पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा (सत्यापित) छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा।
- आवेदक का पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो, समस्त प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापन हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र/अंकसूची की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है।
- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा समय-समय पर चयन के संबंध में प्रसारित दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों का पालन किया जावेगा।
- यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो उच्चतर योग्यता के आधार पर बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित निर्धारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
- शर्तें एवं जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत विज्ञापन संबंधित प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति/परिक्षेत्र कार्यालय/जिला यूनियन बलौदाबाजार कार्यालय में कार्यालयीन दिवस पर प्राप्त कर सकते हैं।
- भर्ती किये गये कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में 01 माह का अग्रिम नोटिस देकर नियमानुसार सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
- किसी भी उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
- आवेदन बंद लिफाफे में उपरोक्त जिला के कार्यालय प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित बलौदाबाजार, नया बस स्टैण्ड के सामने, बलौदाबाजार वनमण्डल बलौदाबाजार, पिनकोड-493332, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे। साथ ही प्राप्त आवेदन पत्रों के चयन के संबंध में चयनसमिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

## 4. चयन प्रक्रिया

प्रबंधक चयन किये जाने हेतु 125 अंक निर्धारित किये जाते हैं, जो अभ्यर्थी की योग्यता के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगे :-

- 10+2 हायर सेकेण्डरी परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत के बराबर अंक प्रदान किये जायेंगे (अधिकतम 100 अंक)। उदाहरणार्थ यदि किसी आवेदक को हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 75.05 प्रतिशत अंक प्राप्त हुये हैं तो उसे 75.05 अंक दिये जायेंगे।
- स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों के अनुपात में 175 अंक दिये जायेंगे (अधिकतम 20 अंक) उदाहरणार्थ 70 प्रतिशत प्राप्तांक को 14 अंक दिये जायेंगे।

क्रमशः

- (ग) छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्राप्त सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा/डिग्री हेतु अधिकतम 5 अंक दिये जायेंगे। सर्टिफिकेट/डिप्लोमा हेतु 3 अंक एवं उच्चतर डिग्री 5 अंक दिये जायेंगे।
- (घ) कम्प्यूटर के संबंध में कौशल परीक्षा लिया जावेगा जिसमें कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।
5. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि :-
- दिनांक 30.08.2024 को शाम 05:00 बजे तक कार्यालय प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित बलौदाबाजार, नया बस स्टैण्ड के सामने, बलौदाबाजार वनमण्डल बलौदाबाजार, पिनकोड 493332, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) में आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा।
  - दिनांक 30.08.2024 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के छानबीन के पश्चात् आवेदनकर्ता को अगले चयन प्रक्रिया हेतु बुलावा पत्र (Call Letter) भेजा जावेगा। दिनांक 30.08.2024 के पश्चात् प्राप्त आवेदन अमान्य होगा।

वनमण्डलाधिकारी/संचालक  
जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित  
बलौदाबाजार वनमंडल बलौदाबाजार (छ.ग.)

**प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित हेतु रिक्त समिति प्रबंधक पद की नियुक्ति बाबत आवेदन-पत्र**

स्वयं के द्वारा  
अभिप्रेमाणित नवीनतम  
पासपोर्ट फोटो

प्रति,

अध्यक्ष

प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति

मर्यादित-----

जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित बलौदाबाजार, वनमण्डल बलौदाबाजार जिला - बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम 2016 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक पद हेतु आवेदन पत्र निम्नानुसार है :-

- आवेदक का नाम (हिन्दी में) -----  
(अंग्रेजी में) -----
- पिता/पति का नाम (हिन्दी में) -----  
(अंग्रेजी में) -----
- जन्मतिथि (अ) अंकों में -----  
(ब) शब्दों में (प्रमाण पत्र संलग्न करें) : -----
- दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में आयु : वर्ष---माह---दिन---
- छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी प्रमाण पत्र: (प्रमाण पत्र संलग्न करें) -----
- लिंग (महिला/पुरुष) -----
- वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) -----  
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- पत्र व्यवहार का पूरा पता -----  
-----  
-----  
दूरभाष/मो.नं.-----

- शैक्षणिक योग्यता एवं कम्प्यूटर प्रमाण पत्र का विवरण निम्नानुसार दर्शावें एवं स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

क्र.	वर्ष	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/ विश्व विद्यालय का नाम	परीक्षा के अंक विवरण		प्राप्तियों का प्रतिशत	श्रेणी
				प्राप्तिक	पूर्णांक		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							

- कम्प्यूटर या अन्य अनुभव

क्र.	कार्यालय का नाम	दिनांक से	दिनांक तक	संस्था	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

- विगत 5 वर्षों का तैदूपत्ता संग्रहण कार्य का विवरण :-

क्र.	संग्रहण वर्ष	संग्रहण मात्रा (गड्डी संख्या)	तैदूपत्ता संग्रहण कार्ड का क्रमांक	मुखिया का नाम	मुखिया से संबंध
1	2020				
2	2021				
3	2022				
4	2023				
5	2024				

- जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक (फोटोकॉपी संलग्न करें)
- क्या आप विवाहित हैं? यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि एवं जीवित संतानों की संख्या -----
- क्या अभ्यर्थियों के विरुद्ध दण्डित प्रकरण किसी पुलिस थाना / न्यायालय में लंबित है? अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है? यदि हाँ तो :----- संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
- आवेदक शासकीय / अर्धशासकीय संस्था में सेवार्त : ----- है? यदि हाँ तो कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
- अन्य योग्यता एवं अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) -----
- संलग्न स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची विवरण सहित 1.-----3.-----4.-----5.-----

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है, कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं चयन के उपरांत भी मेरी नियुक्ति बिना नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।

स्थान :-----

दिनांक:-----

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूर्ण पता

**अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)**

कोनी पुलिस थाना के सामने, बिलासपुर-रतनपुर मार्ग, कोनी  
बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495009,

वेबसाईट [www.bilaspuruniversity.ac.in](http://www.bilaspuruniversity.ac.in),

ईमेल-आईडी [registrar@bilaspuruniversity.ac.in](mailto:registrar@bilaspuruniversity.ac.in)

शुद्धि-पत्र

क्रमांक/698/स्था. प्रशा./ 2024

बिलासपुर, दिनांक 03.08.2024

विज्ञापन क्रमांक/459/Estt.Admn/Rec./2024 बिलासपुर, दिनांक 14.06.2024 शुद्धि पत्र क्रमांक 537/स्था.प्रशा./2024 दिनांक 05/07/2024 के द्वारा शिक्षकीय पदों के लिए विज्ञापन जारी करते हुए दिनांक 05/08/2024 तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं, में वृद्धि करते हुये दिनांक 27/08/2024 सायं 5:30 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। शेष एवं अन्य जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाईट [www.bilaspuruniversity.ac.in](http://www.bilaspuruniversity.ac.in) का अवलोकन करें।

कुलसचिव

# HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

## PROFORMA OF ADVERTISEMENT

ADV. NO.- 01/Legal Assistant/2024

LAST DATE: 13/09/2024 Till 5.00 P.M.

Applications are invited from all eligible candidates for the post of "Legal Assistant" in the establishment of High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, carrying a fixed honorarium of Rs. 30,000/- per month with no Dearness Allowance and/or any other allowances and also without any other perquisites such as residential accommodation etc. The engagement shall be purely contractual based for a fixed term of one year (extendable on periodical basis, upto a maximum period of three years, subject to the approval of the Hon'ble the Chief Justice). However, the term may be terminated at any time, without any notice.

**Legal Assistant Number of Vacancies: 12**

Category	Number of posts
UR	02
SC	03 (First Time-Backlog Posts)
ST	04 (Including 01 for women) (First Time-Backlog Posts)
OBC	03 (First Time-Backlog Posts)
<b>Total</b>	<b>12 Posts</b>

**Note:-1.**

The number of posts may increase or decrease and the number of reserved posts may also vary at any time. This advertisement/recruitment and appointment shall be subject to final outcome of the S.L.P. (C) No. 19668/2022 of Supreme Court of India?

- The posts reserved for SC, ST & OBC are reserved only for SC, ST & OBC who are the bonafide residents of Chhattisgarh State. The applicants who are bonafide residents of other state & recognized as SC, ST & OBC in their own states, will be considered only against the UR posts.
- The candidates belonging to OBC should not be in the creamy layer.
- Reservation shall be given to the women candidates, only who are local residents of State of Chhattisgarh.

**Essential Qualifications:**

- Three Years Professional/Five Years Integrated Degree in Law from any Law College or recognized University throughout the country. Applications shall be accepted from such 'Law Graduates' who have not started practice as an advocate or not engaged in any other profession or vocation/service. Those who have appeared in LL.B. (Final Year) Examination and are awaiting results may also apply. Law graduates having scored not less than 55% marks in their LL.B. examination are only eligible to apply for the post of Legal Assistant. They will be required to submit their final mark sheet of LL.B. Examination at the time of interview.
- Computer knowledge, i.e., Data Entry, Word Processing and Computer Operations.

**Age Limit:**

The Candidate must have attained the minimum age of 21 years and must not attained the maximum age of 30 years as on 1st January of the year in which advertisement is issued.

**Selection Procedure:**

For making selection, competence would be judged on the basis of interview only. The candidates for interview will be called only after screening. No T.A. will be payable for attending the interview.

**Nature of work:**

The successful candidates will be attached with Hon'ble Judges of High Court of Chhattisgarh, Bilaspur and shall discharge duties under directions of their Lordships. Basically, the Legal Assistants will be required to carry out search and research on legal points and principles as desired by the Hon'ble Judge with whom he/she remains attached. He/she shall assist the Hon'ble Judge in searching out case law, articles, papers and other relevant material required by the Hon'ble Judges in

discharge of judicial as well as administrative work. Besides attending the Chambers of Hon'ble Judges, the Legal Assistants may also be asked to be present in Court during hearing of the arguments, take down or prepare notes in Court. The research work assigned to Legal Assistants may include performing legal research, drafting memorandums and opinion, comments on statutes, relevant to questions of law. Assistance from the Legal Assistants may also be taken in proper maintenance of the case files. Assistance in administrative functioning of the Judge shall also be desirable which shall include maintaining of administrative files, preparation of research of academic papers, maintaining record of judgments, the points of law decided in various judgments by a Judge, maintenance of records regarding administrative correspondence etc.

Apart from the above mentioned duties and responsibilities, the Legal Assistants shall perform any other duty as assigned by the Judge concerned with regard to His judicial and administrative functions. The "Legal Assistants" shall be imparted training with regard to procedure and substantive law to assist the Hon'ble Judges in discharging their judicial and administrative functions. The Legal Assistants will also be provided the schedule of training and the details of the nature of job, which they have to perform during their year of engagement. Specific assignments shall be given by the Hon'ble Judge with whom they are attached.

**Restriction on Practice:**

Legal Assistants, from the date of termination of his/her engagement as Legal Assistants shall not appear in any case handled by the Hon'ble Judge(s) with whom he or she had attached, irrespective whether he/she had or not worked on that case during the period of his engagement. The candidates shall furnish an undertaking to the above effect on proforma prescribed herein after.

**Other Conditions of Engagement:**

The Legal Assistants shall be granted leave of absence as may be approved by the Hon'ble Judge to whom he/she is attached subject to a maximum of fraction of 8 days per year vis-a-vis their period of assignment.

**Period of Engagement:**

The engagement shall be for a fixed term of one year only from the first date fixed for joining, which may be terminated without notice at any time.

**Marital Status:**

A candidate having more than one spouse or married to such a person who already had a living legally wedded wife/husband, will not be eligible.

**Disqualification:**

- (1) A candidate involved in any kind of criminal case whether convicted or charge-sheeted shall be barred from applying for the above post.

**How to Apply ?**

- The applications form are available on the official website of High Court of Chhattisgarh (<https://highcourt.cg.gov.in/>) and may be downloaded.
- The application form along with one duly attested copy of High School Mark Sheet, High School Certificate in proof of age/date of birth, Higher Secondary School Certificate Mark Sheet, Higher Secondary School Certificate Pass Certificate, Graduation/Post Graduation Mark Sheets and Certificates and testimonials regarding Extra Curricular Activities and Computer Knowledge should be sent to the Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur either by Speed Post, Registered Post with AD or through Courier.

Sd/-

(Balram Prasad Verma)  
REGISTRAR GENERAL

क्रमशः

**HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR**  
**(Application Form)**

Adv. No. 01/Legal Assistant/2024      Name of Post: Legal Assistant  
Last Date: 13/09/2024 Till 5.00 P.M.

Sd/-  
(Balram Prasad Verma)  
REGISTRAR GENERAL

**UNDERTAKING**

1. Name of Applicant-----  
(in CAPITAL letters)
2. Date of birth-----
3. Sex (Male/Female)-----
4. Nationality.-----
5. Full Name of Father/Husband-----
6. Present Postal Address -----  
-----  
-----
6. A.ContactNumber/MobileNumber.-----
7. Permanent Address -----  
-----  
-----

Paste latest Taken on  
or After 01.01.2024  
Colored Passport size  
Photographs duly  
self signed and  
attested By Gazetted  
Officer.

**8. Educational Qualifications:**

Name of Exam Passed	Name of board/ University	Name of Institution/ College	Year of passing	Total Marks	Marks Obtained	Percentage of Marks btained

9. Do you have computer knowledge i.e. Data Entry, Word Processing and Computer Operations ? (Yes / No)  
(a) Whether you have undergone any certificate/diploma course in computer operation from a recognized Institute? Please give particulars.
10. Are you married? If so, do you have more than one spouse living or married a person having a spouse living?

(Signature of applicant)

**NOTE:**

1. Candidates should affix a latest coloured photograph in passport size with his/her own signature thereon and duly attested by some Gazetted Officer at the place provided in the application.
2. The envelope containing application should be marked "APPLICATION FOR THE POST OF LEGAL ASSISTANT".
3. An envelope shall contain only one application form. An envelope containing more than one application form, shall be stand rejected.
4. Candidates must attach certified copies of the certificates in support of their age and educational qualifications, extra curricular activities and also in support of their having computer knowledge, with the application form.
5. Applications may be sent either by Speed Post, Registered Post A.D. Or through Courier.
6. Application will be rejected if photo is not pasted or if certified copy of certificates are not attached with it or if it is not signed by the applicant or if it is not received by the last date/time.
7. Applications received after last date shall not be entertained and the Court will not be responsible for any postal delay. The defective applications, which are not complete in any respect, will be rejected out- right.
8. Selected candidate shall give an undertaking on the prescribed proforma that during the engagement as Legal Assistant, he/she shall not practice in any court of law nor engage himself/herself in any professional pursuit.
9. The candidates are required to furnish a check list along with application form mentioning therein details (as per format enclosed) about the certificates and the testimonials enclosed with the form.
10. Information regarding format of application and other information are also available on the website of High Court of Chhattisgarh, Bilaspur at <https://highcourt.cg.gov.in/>

- I----- do hereby undertake and accept the following terms and conditions of my assignment as Legal Assistant:-
1. I have been engaged purely on contractual basis for a period of one year and no claim as an employee of the Court shall be made by me.
  2. My period of assignment can be terminated on the recommendation of the Judge to whom I am attached by one months' notice or payment of one months' salary in lieu thereof and I may also opt to leave assignment on one months' notice to the Registrar General.
  3. I shall render duty at the Court/Chambers/Residential Office of Hon'ble the Chief Justice/Hon'ble Judge according to the convenience of His Lordship and the duty hours shall be such as prescribed by the concerned Hon'ble Judge.
  4. I shall be granted leave of absence as may be approved by the Hon'ble Judge to who I am attached subject to a maximum of fraction of 8 days per year vis-a-vis my period of assignment.
  5. I shall not absent myself from duty without prior permission of the Hon'ble Judge. In case of absence due to sudden illness or some other unforeseen circumstances beyond control, I shall give intimation thereof without delay. I understand that no remuneration will be paid for any unauthorised absence from duty as also for the days exceeding permissible leave.
  6. I shall maintain a high standard of reputation and Integrity commensurate with the responsibilities entrusted to me. I shall maintain utmost secrecy in respect of matters which come to my notice by virtue of the assignment and shall ensure that no information, documents or any other thing is leaked out because of mishandling of papers or my deliberations with others, or in any manner.
  7. At all times i.e. even after the completion of the assignment, I shall maintain complete secrecy regarding the work assigned to me by the Hon'ble Judge.
  8. I understand that I shall be governed by the provisions of the Indian Penal Code and the Indian Official Secrets Act, 1923 as applicable to any public servant.
  9. I shall not practice as an Advocate in any Court of law during the course of assignment as Legal Assistant.
  10. From the date of termination of my engagement as Legal Assistant, I shall not appear in any case handled by the Hon'ble Judge(s) with whom I was attached, irrespective whether I had or not worked on that case during the period of my engagement.

Signature-----  
Name-----  
Address-----

**INDEX FOR CHECK LIST**

Candidate should mark ( ) against relevant column to indicate the documents enclosed with the application form.

SI.No.	Particulars	Document attached
1.	Duly attested mark sheet of High School or Equivalent	
2.	Duly attested certificate of High School or Equivalent	
3.	Duly attested mark sheet of Higher Secondary School Certificate or Equivalent	
4.	Duly attested certificate of Higher Secondary School Certificate or Equivalent	
5.	Duly attested mark sheet of Graduation or Equivalent (B.A./B.Sc./ B.Com. etc.)	
6.	Duly attested certificate of Graduation or Equivalent (B.A/B.Sc./B.Com. etc.)	
7.	Duly attested mark sheet of LL.B.	
8.	Duly attested certificate of LL.B.	
9.	Duly attested mark sheet of Post Graduation or Equivalent	
10.	Duly attested certificate of Post Graduation or Equivalent	
11.	Duly attested computer Knowledge Certificate	
12.	Details of Other certificates & testimonials (if any)	

Number of Total documents attached.....

(Signature of Applicant)

# कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बास्तानार (बड़े किलेपाल) जिला- बस्तर (छ.ग.)

ईमेल:-itibastanar@rediffmail.com फोन नं:-8319708209

क्रमांक / औपसं/स्था / मे.प्र.भर्ती / 2024 / 122

दिनांक 05/07/2024

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नं0-4, प्रथमतल, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर के आदेशानुसार जिला दन्तेवाड़ा नोडल अंतर्गत संचालित शासकीय औद्योगिक शिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध व्यवसायों/ विषयों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2024-2025 के लिये मेहमान प्रवक्ता (Guest Lecturer) हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं उपस्थिति के माध्यम से कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बास्तानार जिला- बस्तर छ०ग० 494442 में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 25/08/2024 को सायं 5:00 बजे तक है। पदों की जानकारी एवं शैक्षणिक / तकनीकी योग्यताएँ, निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है :-

## 1. पदों की जानकारी:-

क्र०	व्यवसाय / विषय का नाम	औपसं तोकापाल	औपस बास्तानार	कुल पद
01	कोपा (कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट)	00	01	01
01	कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मैटेनेंस	01	01	02
महायोग		01	02	03

टीप: सम्बंधित विषय /व्यवसाय में नवीन नियुक्ति नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत मेहमान प्रवक्ता की सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी

नोट:- विस्तृत विज्ञापन संस्था शासकीय औ प्र सं बास्तानार व् तोकापाल के नोटिस बोर्ड तथा वेबसाइट [www.bastar.gov.in](http://www.bastar.gov.in) के recruitment पेज में अपलोड है जिसमे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है

## शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र०	व्यवसाय का नाम	संस्था का नाम	पदों की संख्या	वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA)	आईटीआई बास्तानार	01	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण अथवा डी.ओ.ई. (DOEACC) से "ए" स्तर का प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से बी.सी.ए. पी.जी.डी.सी.ए. 3. अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई.आर.टी.आई./टॉट उत्तीर्ण हो।
		आईटीआई बास्तानार	01	01. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल या पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 1. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र/राज्य

2	कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मैटेनेंस	आईटीआई तोकापाल	01	व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम्प्यूटर साइंस/आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण 2. अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई.आर.टी.आई./टॉट उत्तीर्ण हो।
कुल पद			03	

## 3. अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया:-

- जिन पदों के लिए सी.टी.आई./ ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी. आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (परीक्षा) की अंकसूची के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
- सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।
- सी.टी.आई./ए.टी.आई. उपाधि धारक को प्राथमिकता दिया जायेगा।  
प्राचार्य / नोडल अधिकारी, शासकीय औद्योगिक संस्था गाँव औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गस्तानार, जिला-बस्तर (छ.ग.)

## नियम एवं शर्तें

- प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
- प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एक वर्षीय सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण-पत्रधारी अभ्यर्थियों के एटीआई/सीटी आई के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जावेगा। सीटीआई/ एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
- मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोष जनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य / संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
- शासन द्वारा नियमित / स्थानान्तरित / संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित / स्थानान्तरित / संविदा पद स्थापना किये जाने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं/ व्यवसायों/ विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं / व्यवसायों / विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
- पृथक-पृथक संस्थाओं / व्यवसायों/ विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा।
- मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रतिघंटा 140/- (एक सौ चालीस रुपये) की दर से प्रतिकार्य दिवस अधिकतम पांच घंटे का मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम 15.000/- रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) मानदेय देय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। मेहमान प्रवक्ता को माह के कार्य दिवसों में एक दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर निर्धारित मानदेय से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
- आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम

क्रमशः

लागू नहीं होंगे। शासकीय अवकाश का छोड़कर अन्य अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

- पदों की संख्या घटाई बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय / विषय के लिये तैयार की गई अनुमोदित सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल अधिकारी निर्णय ले सकेंगे यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतिक्षा सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तब अन्य जिलों की अनुमोदित सूची से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।
- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर/समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- आवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में दिनांक 25/08/2024 को सायं 5:00 बजे तक अथवा इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बास्तानार जिला बस्तर पिन कोड 494442 में जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर/आवेदन प्रपत्र में संस्था एवं व्यवसाय का नाम उल्लेख करना आवश्यक है।
- आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01.01.2024 स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए वांछित प्रमाण-पत्रों जैसे- शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, तकनीकी योग्यता, एटीआई/सीटीआई एवं निवास प्रमाण-पत्र तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र जिनके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है।
- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इस संबंध में उम्मीदवारों को सूचना नहीं दी जायेगी।
- मेहमान प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित की गई अवधि तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद चयन अनुमोदन सूची के अगले सरल क्रमांक को अवसर दिया जावेगा तथा इसी क्रम से अन्य आवेदकों को अवसर दिया जावेगा।
- दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नंबर सही एवं स्पष्ट उल्लेखित करें। दिये गये मोबाईल नंबर पर संपर्क न होना की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र जैसे-राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र/ इंजीनियरिंग में उपाधि/इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र/अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।  
उक्त कार्यवाही द्वारा नियुक्त मेहमान प्रवक्ता माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर केस डब्ल्यू० पी० एस० 4836/2020 के संबंध में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था  
बास्तानार (बड़े किलेपाल) जिला- बस्तर (छ.ग.)

### मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्राचार्य / नोडल अधिकारी शासकीय  
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बास्तानार  
जिला बस्तर (छ०ग०)

स्व प्रमाणित  
फोटो

विषय :- मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र ।

महोदय,

मेहमान प्रवक्ता हेतु निर्मांकित विवरणों के साथ आवेदन प्रस्तुत है :-  
आवेदित पद एवं व्यवसाय का नाम  
आवेदित संस्था का नाम (जिसके लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।)

- आवेदक का नाम -----
- पिता / पति का नाम -----
- माता का नाम -----
- जाति.....वर्ग -----
- जन्मतिथि ( अंको में ) -----  
( शब्दों में ) -----
- पत्र व्यवहार का पूर्ण पता -----
- दूरभाष / मोबाईल नंबर -----
- स्थायी निवास का पूर्ण पता -----
- सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण ( हाँ/नहीं ) -----
- शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता विवरण :-

टीप :- जावे। प्रत्येक संस्था / व्यवसाय/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया

क्रमांक	परीक्षा का नाम	मण्डल/बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ आई.टी.आई	विषय/व्यवसाय	श्रेणी	प्राप्तांक/पुर्णांक	प्रतिशत

12. संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची :-

- 
- 
- 
- 
- 
- 

( आवेदक के हस्ताक्षर )

// शपथ-पत्र //

- उक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जो कि पूर्णतः सत्य है एवं मैं सहमत हूँ कि :-
- मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ०ग० रायपुर द्वारा निर्धारित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित / लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
  - मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण-पत्र सही है एवं सत्य है, यदि जानकारी अथवा प्रमाण-पत्र गलत पाये जाते हैं, तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा / रहूंगी।
  - मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा/करूंगी तथा यह चयन इस सत्र के लिये या आवश्यकता रहने तक या नियमित/स्थानान्तरित/संविदा कर्मचारी की पद स्थापना होने पर रहेगी, जिस हेतु मैं पूर्णतः सहमत हूँ।
  - मैं संस्था में प्राचार्य / अधीक्षक / संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करूंगा / करूंगी।
  - मैं एक से अधिक संस्था/व्यवसाय/विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था/व्यवसाय /विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊंगा/जाऊंगी। दूसरे संस्था / व्यवसाय / विषय के लिये चयन स्वयमेव निरस्त समझा जावेगा।
  - मैं शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों/निर्देशों तथा नियमों का पालन करूंगा / करूंगी।

( आवेदक के हस्ताक्षर )

स्थान-----

दिनांक-----

पूरा नाम-----  
पत्र व्यवहार का पता-----  
मोबाईल नम्बर-----

# शौर्य का सम्मान

स्वतंत्रता के बाद भारत में वीरता पदकों की नयी परंपरा प्रारम्भ की गयी। एक सेवा अलंकरण का मतलब किसी भी आदेश, पदक या अन्य प्रतीक चिन्ह है जो वीरता, प्रतिष्ठित आचरण या सेवा, लंबी सेवा, अच्छा आचरण, कर्तव्य के प्रति समर्पण, दक्षता, किसी अभियान में भागीदारी या किसी अन्य कार्य के लिए पुलिस बल या किसी सशस्त्र बल के किसी सदस्य पर ऑपरेशन या किसी अन्य कारण से प्रदान किया जाता है। रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के वीरता पुरस्कारों के लिए वर्ष में दो बार सिफारिशें आमंत्रित करता है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 46 पुलिस अधिकारियों और जवानों का उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदकों से सम्मानित किया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम श्री साय ने पुलिस वीरता पदक से 26, राष्ट्रपति पुलिस पदक से 02, सराहनीय सेवा सुधार पदक से 2 और राज्य स्तरीय एवं पुलिस महानिदेशक पदकों से 5 अधिकारी-कर्मचारियों को अलंकृत किया।

## विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति का पुलिस पदक 2024

- श्री अमित कुमार (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय रायपुर
- श्री के. एल. ध्रुव (भा.पु.से.), उप पुलिस महानिरीक्षक, कांकेर रेंज, कांकेर

## सराहनीय सेवा हेतु भारतीय पुलिस पदक 2024

निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए "भारतीय पुलिस पदक" से अलंकृत किया गया।

- श्री दुखू राम आचला (भा.पु.से.), उप पुलिस महानिरीक्षक, सेवा निवृत्त
- श्रीमती नेहा पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
- श्रीमती यशेश्वरी येरेवार, उप पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय रायपुर
- श्री टीकाराम कुरें, सहायक सेनानी, 22वीं वाहिनी छसबल, भीरागांव-कांकेर
- श्री महेश शुक्ला, सहायक प्लाटून कमाण्डर, 6 वीं वाहिनी छसबल, रायगढ़
- श्री जेम्स लकड़ा, कंपनी कमाण्डर, 2री वाहिनी छसबल, सकरी-बिलासपुर
- श्री ओमप्रकाश साहू, उप निरीक्षक (अ), विशेष आसूचना शाखा, पुलिस मुख्यालय रायपुर
- श्री उदय सिंह सिदार, प्रधान आरक्षक, 15वीं वाहिनी छसबल, बीजापुर
- श्री महेन्द्र कुमार पाठक, उप निरीक्षक, जिला-नारायणपुर
- श्री मनोज कुमार साहू, सहायक उप निरीक्षक, बस्तर
- श्री देवीशरण सिंह, प्रधान आरक्षक, विशेष आसूचना शाखा, पुलिस मुख्यालय रायपुर

## सराहनीय सुधार सेवा पदक 2024

जेल विभाग में उत्कृष्ट कार्य हेतु निम्न कर्मचारियों को सराहनीय सुधार सेवा पदक से अलंकृत किया गया।

- श्री गिरधर सेन, सेवा निवृत्त प्रहरी, केन्द्रीय जेल रायपुर
- श्री लक्ष्मीराम यादव, मुख्य प्रहरी, जिला जेल कोरबा

## राज्य स्तरीय एवं पुलिस महानिदेशक पुरस्कार 2024

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं एवं अव्यस्क बालक-बालिकाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने तथा त्वरित वैधानिक कार्यवाही करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निम्नांकित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 04 राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं 01 पुलिस महानिदेशक पुरस्कार प्रदाय किया जा रहा है

- राज्यपाल पुरस्कार** - श्रीमती शिल्पा साहू, उप पुलिस अधीक्षक, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग
- मुख्यमंत्री पुरस्कार** - श्री दिलहरण सिंह ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक, जिला-धमतरी
- रानी सुबरन कुंवर पुरस्कार** - श्रीमती भारती मरकाम, निरीक्षक, जिला-बिलासपुर
- वीरनारायण सिंह पुरस्कार** - अजाक थाना, जिला-बेमेतरा
- पुलिस महानिदेशक पुरस्कार** - श्रीमती अंजू सिंह, महिला प्रधान आरक्षक, जिला-राजनांदगांव

## छत्तीसगढ़ के 25 पुलिस अधिकारी, पुलिस वीरता, विशिष्ट सेवा एवं सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। यह पदक उनके उत्कृष्ट सेवा और समर्पण को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जा रहे हैं।

### पुलिस वीरता पदक

- श्री शिशुपाल सिन्हा, निरीक्षक, जिला बालोद
- श्री निर्मल जांगड़े, उप निरीक्षक, जिला कांकेर
- श्री अमैया चिलमुल, प्रधान आरक्षक, बीजापुर
- श्री फुल्ला गोपाल, प्रधान आरक्षक, बीजापुर
- श्री तुलाराम कुहरामी, प्रधान आरक्षक, बीजापुर
- श्री गोपाल बोड्डू, आरक्षक, जिला बीजापुर
- श्री हेमन्त एण्ड्रिक, आरक्षक, जिला बीजापुर
- श्री मोती लाल राठौर, आरक्षक, जिला बीजापुर
- श्री गोविन्द सोढी, आरक्षक, जिला बीजापुर
- श्री सुकारु राम, आरक्षक, जिला बीजापुर
- श्री मुन्ना कडती, आरक्षक, जिला बीजापुर
- श्री कृष्णा गाली, आरक्षक, जिला बीजापुर
- श्री मीमा, आरक्षक, जिला बीजापुर
- श्री धनीराम कोरसा, आरक्षक, जिला बीजापुर
- श्री कृष्णा ताती, आरक्षक, जिला बीजापुर

### विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक

- श्री आनंद सिंह रावत, सहायक सेनानी, पीटीसी बोरगांव

### सराहनीय सेवाओं के लिए पदक

- श्री सुशील चंद्र द्विवेदी, पुलिस महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर
- श्री राहुल भगत, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन, रायपुर
- श्री राजकुमार मिंज, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण शाला, माना-रायपुर
- श्री गुरजित सिंह ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर
- श्री प्रशांत श्रीवास्तव, सहायक सेनानी, माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा, वीआईपी सुरक्षा, रायपुर
- श्री प्रमो लाल कोमरे, कंपनी कमाण्डर, 19वीं वाहिनी, छसबल, जगदलपुर
- श्री द्वारिका प्रसाद मिश्रा, उप निरीक्षक, बस्तर
- श्री धरम सिंह नरेटी, प्रधान आरक्षक, सुकमा
- श्री रविन्द्र कुमार ठाकुर, प्रधान आरक्षक, कांकेर

### पुलिस वीरता पदक 2024

अधिकारी एवं जवानों के द्वारा अदम्य साहस एवं बहादुरी का उत्कृष्ट परिचय के फलस्वरूप उन्हें राष्ट्रपति के "वीरता पदक" से अलंकृत किया गया।

- श्री हेमंत पटेल, निरीक्षक, बलोदाबाजार
- श्री मालिक राम, निरीक्षक, कांकेर
- श्री सुक्कू राम नाग, उप निरीक्षक, नारायणपुर
- श्री संतोष चंदन, प्रधान आरक्षक, नारायणपुर
- श्री साकेत कुमार बंजारे, निरीक्षक, बीजापुर
- श्री भुवन सिंह बोरा, कंपनी कमाण्डर, 21वीं वाहिनी छसबल, बालोद
- श्री संजय पाल, उप निरीक्षक, दंतेवाड़ा
- श्री धरम सिंह तुलावी, निरीक्षक, बीजापुर
- श्री वीरेन्द्र कंवर, उप निरीक्षक, सुकमा
- श्री पतिराम पोड़ियाम, उप निरीक्षक, कांकेर
- श्री दिलीप कुमार वासनिक, प्लाटून कमाण्डर, एस.टी.एफ. बघेरा-दुर्ग
- शहीद

रमेश जुरी, प्रधान आरक्षक, बीजापुर

- शहीद रमेश कोरसा, आरक्षक, बीजापुर
- शहीद सुभाष नायक, आरक्षक, बीजापुर
- शहीद रामदास कोराम, आरक्षक, एस.टी.एफ. बघेरा-दुर्ग
- शहीद जगत राम कंवर, आरक्षक, एस.टी.एफ. बघेरा-दुर्ग
- शहीद सुख सिंह, आरक्षक, एस.टी.एफ. बघेरा-दुर्ग
- शहीद रमाशंकर सिंह, आरक्षक, एस.टी.एफ. बघेरा-दुर्ग
- शहीद शंकर नाग, आरक्षक, एस.टी.एफ. बघेरा-दुर्ग
- शहीद किशोर एण्ड्रिक, सहायक आरक्षक, बीजापुर
- शहीद सनकूराम सोढी, सहायक आरक्षक, बीजापुर
- शहीद बोसाराम करटामी, सहायक आरक्षक, बीजापुर
- श्री धरम सिंह तुलावी, निरीक्षक, बीजापुर
- श्री शिव कुमार रामटेके, प्रधान आरक्षक, बीजापुर
- श्री छन्नूराम पोयाम, सहायक उप निरीक्षक, बीजापुर
- श्री गौतम कोरसा, आरक्षक, बीजापुर



भारतीय वीरता पदक

युद्धकाल के दौरान प्रदान किए जाने वाले वीरता पदक : परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र शांतिकाल के दौरान प्रदान किए जाने वाले वीरता पदक : अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र विशिष्ट सेवा मेडल : सेना मेडल (थल सेना), नौसेना मेडल (नौसेना), वायुसेना मेडल (वायु सेना)

### वीरता पदक



### अशोक चक्र

विशिष्ट बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है, या दुश्मन के विरुद्ध कार्यवाही में वीरता या आत्म-बलिदान के साहस या पूर्व-कृत्य के कुछ कार्य। अलंकरण को मरणोपरांत सम्मानित किया जा सकता है।



### कीर्ति चक्र

दुश्मन के विरुद्ध कार्यवाही में विशिष्ट वीरता के लिए सम्मानित किया जाता है। अलंकरण को मरणोपरांत सम्मानित किया जा सकता है।



### वीर चक्र

शत्रु की उपस्थिति में विरुद्ध कार्यवाही में वीरता के कृत्यों के लिए, चाहे भूमि की हो या समुद्र की या हवा में, सम्मानित किया जाता है। अलंकरण को मरणोपरांत सम्मानित किया जा सकता है।



### शौर्य चक्र

दुश्मन के विरुद्ध कार्यवाही में वीरता के लिए सम्मानित किया जाता है। अलंकरण को मरणोपरांत सम्मानित किया जा सकता है।



### PPMG (गैलेट्री के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक)

एक मान्यता प्राप्त पुलिस बल, केंद्रीय खुफिया ब्यूरो या एक संगठित अग्निशमन सेवा के सदस्यों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने विशिष्ट वीरता की सेवाओं का प्रदर्शन किया है।



### पीएमजी (वीरता के लिए पुलिस पदक)

एक मान्यता प्राप्त पुलिस बल, केंद्रीय खुफिया ब्यूरो या एक संगठित अग्निशमन सेवा के सदस्यों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने विशिष्ट वीरता की सेवाओं का प्रदर्शन किया है।



### PPMS (मेधावी सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)

देश के सभी पुलिस कर्मचारी कम से कम 15 साल की मेधावी सेवा के लिए इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं।



### PPMDS (विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)

देश में कम से कम 21 साल की सेवा वाले सभी पुलिस कर्मी इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। लंबे समय तक सेवा, लेकिन केवल जब बहुत असाधारण क्षमता और योग्यता से प्रतिष्ठित। मेधावी सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होने के बाद कम से कम 5 साल सेवारत होने चाहिए।

# स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के विद्रोह

छत्तीसगढ़ का इतिहास आदिवासी विद्रोहों की एक गौरवशाली गाथा है, जो इस क्षेत्र के जनजातीय समाज की संघर्षशीलता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान, छत्तीसगढ़ के विभिन्न आदिवासी समुदायों ने न केवल बाहरी शासन, बल्कि अपनी संस्कृति, धर्म, और स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा के लिए भी विद्रोह किया। ये विद्रोह न केवल स्थानीय शासकों और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के खिलाफ थे।

## हल्बा विद्रोह



**कब हुआ: 1774-1779**

हल्बा विद्रोह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। दलपत देव (१७३१-१७७४) की मृत्यु के बाद, दलपत देव के दो बेटों के बीच सिंहासन को लेकर कई युद्ध हुए। दलपत देव के छोटे बेटे दरियाव देव ने अपने बड़े भाई अजमेर सिंह को हराकर राजा का ताज अपने नाम कर लिया। राजा दरियाव देव के शासनकाल के दौरान हल्बाओं ने विद्रोह किया था। बस्तर में चालुक्यों के शासनकाल (1324-1774) में आदिवासियों की गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को ध्वस्त कर राजतंत्र प्रणाली लागू कर दी गई, चालुक्यों के काल से बस्तर में बाह्य तत्वों का आगमन शुरू हो गया और निर्दयी सामंतवाद की नींव पड़ी, जिसने आगामी 05 शताब्दियों तक पूर्ण अवरूद्धता व जड़ता को स्थापित किया, इसी तरह के नकारात्मक विकास ने कालांतर में "हल्बा क्रांति" (1774-1779) को जन्म दिया।

## भोपालपटनम विद्रोह



**कब हुआ: 1795**

भोपालपटनम विद्रोह एक जनजातीय संघर्ष था जिसे अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्षेत्रीय प्रतिरोध के रूप में देखा जाता है। ब्रिटिश अधिकारियों ने बस्तर के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। कैप्टन ब्लंट, जिसे बंगाल के शासकों ने इस क्षेत्र में संभावनाओं का पता लगाने के लिए भेजा था, ने चांदा जिले से होकर इन्द्रावती नदी पार कर भोपालपटनम जमींदारी में प्रवेश करने की योजना बनाई थी। लेकिन इस क्षेत्र के आदिवासी समुदायों—अबूझमाड़िया, दण्डामी माड़िया, कोया, और दोरला ने उनके इस प्रयास का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि अंग्रेजों का आगमन उनके क्षेत्र में उनकी संस्कृति और धर्म को खतरे में डाल देगा। इसलिए, उन्होंने बाहरी शक्तियों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का दृढ़ निश्चय किया और कैप्टन ब्लंट को मजबूरन वापस लौटना पड़ा।

## लिंगागिरी का विद्रोह

**कब हुआ: सन् 1856-57**

लिंगागिरी परगना, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है, का विद्रोह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस क्षेत्र में माड़िया और दोरला जनजातियाँ निवास करती थीं, जिन्होंने अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप और अतिरिक्त कर वसूली के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा पारंपरिक नियमों में हस्तक्षेप और बस्तर के जनजातियों पर अतिरिक्त करों का भार डालना था। इन जनजातियों को डर था कि अंग्रेजों के नियंत्रण में आने से वे अपनी स्वतंत्रता खो देंगे और गुलाम बन जाएंगे। विद्रोह का नेतृत्व लिंगागिरी परगना के तालुकेदार धर्मारव (जिसे कुछ स्रोतों में धुर्वारव के नाम से भी जाना जाता है)



ने किया। धर्मारव माड़िया जनजाति से थे और उन्होंने अपने समुदाय के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। उनके साथ यादोराव, जो भोपालपटनम के जमींदार का पुत्र था, व्यंकटरव, जो अरपल्ली और घोट के जमींदार थे, और बाबूराव, जो मोनमल्ली के तालुकेदार थे, ने भी विद्रोह में हिस्सा लिया। इस विद्रोह में धर्मारव, यादोराव, व्यंकटरव, और बाबूराव जैसे नायकों ने अपनी जानें दीं। लिंगागिरी परगना का यह विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ बस्तर के आदिवासियों की आजादी की लड़ाई का प्रतीक था, जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने इलाके में भी विद्रोह की आग भड़काई।

## सरगुजा विद्रोह



**कब हुआ: 1792**

1818 में छत्तीसगढ़ अंग्रेजी नियंत्रण में आया और तब वहां के राजा कल्याण सिंह थे। 1852 तक अंग्रेजों ने उनके खिलाफ कुशासन का आरोप लगाकर उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और बाद में हत्या के एक मामले में राजा कल्याण सिंह और उनके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। 1857 की क्रांति के दौरान उदयपुर के राज परिवार और क्षेत्र के वनवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन शक्ति के अभाव में यह विद्रोह असफल रहा। राजा को गिरफ्तार कर अंडमान की जेल भेज दिया गया। इस विद्रोह में सरगुजा की जनजातियों ने भी हिस्सा लिया, 1858 में, जब कोल बागियों ने फिर से संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, तो अंग्रेजी अधिकारी डाल्टन ने ब्रिगेडियर डगलस के नेतृत्व में एक सेना भेजी। बागियों की संख्या 800 से अधिक थी और वे अंग्रेजी ठिकानों को लूट रहे थे।

## रानी वेरिस का विद्रोह

**कब हुआ: 1878-1882**

सन् 1878 ई. में बस्तर के राजा भैरमदेव (1853-1891) की पटरानी जुगराज कुँअर ने अपने पति तथा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक अनूठा विरोध किया था, जिसे बस्तर के सरकारी अभिलेखों में रानी चो रिस (रानी का कोप) कहा जाता है। रानी का यह संघर्ष लगातार आठ वर्षों तक चलता रहा और अंत में रानी विजयी हुई। ब्रिटिश प्रतिवेदनों में इसे विरोध की संज्ञा दी गयी है। वर्तमान में यह महल बत्तीसा मंदिर के नाम से जाना जाता है तथा राज्य शासन द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित है। रानी के उक्त विरोध का मूल कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार



भैरमदेव ने एक मुस्लिम महिला नावा बाई से विवाह किया था, जबकि इससे पूर्व राजा की पहले से ही दो पत्नियाँ थीं— जुगराज कुँअर देवी तथा सुवर्ण कुँअर देवी। भैरमदेव ने फ्रेजर के कहने से यह तीसरा विवाह उस युग की प्रचलित परंपरा के खिलाफ एक विधर्मिणी से रचाया था। जुगराज कुँअर देवी के तीखे तेवर के कारण बस्तर की महिलाएँ राजा भैरमदेव के खिलाफ सड़कों पर उतर आयीं तथा उनका नारा था कि भैरमदेव या तो नावाबाई को छोड़ें अथवा बस्तर की राजगद्दी को छोड़ दें। संभवतः यह नारीमुक्ति का भारत में लड़ा जाने वाला प्रथम विद्रोह था। यह एक सफल विद्रोह था और विद्रोहिणी महिला अंत में विजयिनी होकर उभरी। ब्रिटिश प्रतिवेदनों में इसे "विद्रोह" की संज्ञा दी गयी है।

## परलकोट विद्रोह



**कब हुआ: 1824-1825**

बस्तर के आदिवासी बंधुओं का भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था तब अंग्रेजों के खिलाफ राजा गेंदसिंह ने विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह अकेले राजा का नहीं पूरे आदिवासी समाज का अंग्रेजों के खिलाफ था। आदिवासी समाज को राजा गेंदसिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का रास्ता दिखाया था। परलकोट क्षेत्र से अंग्रेजों के खिलाफ देश की पहले विद्रोह की पहली मशाल जली थी। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों में अमर शहीद गेंदसिंह का नाम अग्रणी पंक्ति में रखा जाता है। परलकोट के साथ वर्तमान महाराष्ट्र के चांदा तक उनके शासन का विस्तार हो गया था। गेंदसिंह का बढ़ता वर्चस्व देख अंग्रेजों को परेशानी होने लगी और वे परलकोट की ओर आने लगे।

## विद्रोह के कारण

छत्तीसगढ़ में 1774-1910 तक हुए आदिवासी विद्रोहों के मूलभूत कारण

- राजा के प्रति श्रद्धाभाव: स्थानीय आदिवासी समुदायों की अपने राजाओं के प्रति निष्ठा और सम्मान ने विद्रोह को जन्म दिया।
- धार्मिक आस्था पर कुठाराघात: धार्मिक आस्थाओं पर हमला और सांस्कृतिक हस्तक्षेप ने विद्रोह को प्रेरित किया।

- अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों: ब्रिटिश सरकार की नीतियों और शोषणकारी प्रशासन ने विद्रोह का कारण बना।
- अनैतिक शोषण: विदेशी शासन और स्थानीय शासकों द्वारा किए गए शोषण ने विद्रोह को जन्म दिया।
- वन सम्पदा का दोहन: वन सम्पदा के दोहन और प्राकृतिक संसाधनों

- की लूट ने आदिवासी समुदायों को प्रतिकूल स्थिति में डाल दिया।
- उनके पर्यावास में बाह्य तत्वों का प्रवेश: बाहरी तत्वों के आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश ने विद्रोह को बढ़ावा दिया।
- स्वतंत्रता का हनन: आदिवासियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के उल्लंघन ने विद्रोह को जन्म दिया।

- संस्कृति की रक्षा: अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं की रक्षा के लिए आदिवासियों ने संघर्ष किया।

सागर व स्रोत: आदि विद्रोह आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक से

## छत्तीसगढ़

### स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवनवृत्त की प्रदर्शनी



78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित 7 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी में देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारियों की स्मृतियों को बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। यह प्रदर्शनी में स्कूली विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए ज्ञानवर्धक है। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बीते 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया था। छायाचित्र प्रदर्शनी में आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारियों का योगदान और उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज, स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान उनकी जीवन यात्रा, जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आन्दोलन एवं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में उनके योगदानों को प्रदर्शित किया गया है।

### जशपुर जिले की ए.एन.एम. व मितानिन दिल्ली में सम्मानित



78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल एवं श्री प्रतापराव जाधव ने छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के आयुष्मान आरोग्य मन्दिर पाकरगांव, विकासखंड पथलगांव में कार्यरत ए.एन.एम. श्रीमती निग्मा लांबा व ग्राम पंडरीपानी, विकासखंड कुनकुरी की मितानिन श्रीमती अमीषा बाई को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया।

### दो नई रेललाइन के फाइनल सर्वे को मंजूरी

छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। विष्णु देव साय सरकार रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दे रही है। रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए दो अहम नई रेल लाइन के फाइनल सर्वे को मंजूरी दी है। इसके साथ ही कोरबा-अंबिकापुर नई रेल लाइन का रास्ता साफ हो गया है। इसी तरह गढ़चिरोली-बचेली (व्हाया-बीजापुर) नई रेल लाइन महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व ओडिशा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए बेहतर रेल कनेक्टिविटी साबित होगी। रेल अफसरों के अनुसार, कोरबा से अंबिकापुर 180 किमी. और गढ़चिरोली से बचेली (व्हाया- बीजापुर) 490 किमी नई रेल लाइन का निर्माण होना है। इसके लिए फाइनल सर्वे व डीपीआर तैयार करने के लिए रेल मंत्रालय ने 16.75 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में दो नई रेल लाइन परियोजनाओं के अंतिम सर्वे और डीपीआर निर्माण की स्वीकृति मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे छत्तीसगढ़ का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक मजबूत होगा। इससे बस्तर के सुदूर अंचल के लोग उच्च शिक्षा, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य और अपने उत्पादों की बिक्री के लिए रेलमार्ग से सीधे शहर से जुड़ेंगे। समूचा बस्तर क्षेत्र विकास के उच्च आयामों को छुएगा।

### रायपुर-भोपाल के लिए अब सातों दिन फ्लाइट, प्रयागराज भी शुरू

इंडिगो एयरलाइंस की भोपाल-रायपुर-भोपाल फ्लाइट को रिशेड्यूल किया गया है। इसके अनुसार भोपाल से फ्लाइट सुबह 9.55 बजे उड़ान भरकर 11.25 बजे रायपुर पहुंचेगी। रायपुर से यही फ्लाइट दोपहर 3.40 बजे रवाना होगी और शाम 5.10 बजे भोपाल पहुंचेगी। यह छोटा एटीआर विमान होगा, जिसमें एक साथ 72 यात्री सफर कर सकेंगे। इसी तरह कई महीनों से बंद रायपुर- प्रयागराज उड़ान को फिर से शुरू कर दिया गया है। यह फ्लाइट भी हफ्ते में सातों दिन रहेगी। रायपुर से इलाहाबाद के लिए सीधी उड़ान होने की वजह से अभी हर दिन 50 से 55 यात्री सफर कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस की यह फ्लाइट रायपुर से दोपहर 12.05 बजे उड़ान भरकर 1.25 बजे प्रयागराज पहुंच जा रही है। वहां से दोपहर 1.50 बजे उड़कर 3.20 बजे रायपुर पहुंच जा रही है।

### पीवीटीजी परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने मेगा ईवेंट और आईईसी कैम्पेन

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के पहल पर छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल बसाहटों में राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। राज्य के 18 जिलों में आगामी सितम्बर माह में इसके लिए मेगा ईवेंट और आईईसी कैम्पेन चलाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सितंबर 2024 के प्रथम सप्ताह में ऐसे आयोजनों में वर्चुअल रूप से शामिल होकर विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के साथ संवाद करेंगे।

### भारतीय सेना की कार्यप्रणाली का भव्य प्रदर्शन

सीएम साय ने कहा, "राज्य सरकार की पहल पर अक्टूबर माह में भारतीय सेना राजधानी रायपुर में अपने हथियारों एवं सैनिक कौशल की प्रस्तुति करेगी।" छत्तीसगढ़ में 5 और 6 अक्टूबर 2024 को एक भव्य सैन्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रदेश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है, जो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का सपना देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस आयोजन की घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "X" पर की। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के युवाओं के लिए सेना की कार्यशैली को करीब से जानने और समझने का एक अनूठा अवसर होगा।

### दिव्य कला मेला: दिव्यांग उद्यमियों के सामर्थ्य को सशक्त करता एक मंच

मुख्यमंत्री ने 'दिव्यांगजन पार्क' निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा की केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई मैदान में 17वें 'दिव्य कला मेला' का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि दिव्य कला मेला ने दिव्यांगजन की रचनात्मकता, कौशल, और सृजनशीलता को एक मंच प्रदान किया गया है, जिससे वे अपने उत्पादों को देश-विदेश में प्रदर्शित कर सकें। दिव्य कला मेला के पिछले सफल आयोजनों ने न सिर्फ दिव्यांगजन की भागीदारी को बढ़ावा दिया है, बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को भी सुनिश्चित किया है।

### सबसे छोटे रॉकेट से भेजा गया ईओएस 08 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च

इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) ने देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट-8 (EOS-08) को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया, लॉन्चिंग सफल रही। उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी। यह सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किमी ऊपर स्थापित किया गया। यह एक साल तक काम करेगा। EOS-08 सैटेलाइट का मकसद पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना है। इससे पहले ISRO ने 15 अगस्त को लॉन्चिंग की तारीख तय की थी। फिर इसे एक दिन बाद लॉन्च किया गया।

### लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार



प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका और राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति इस वर्ष लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हुईं। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने यह जानकारी दी। मूर्ति को यह पुरस्कार ग्रामीण विकास, साहित्य और सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया। यह पुरस्कार वर्ष 1983 से राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा के लिए दिया जा रहा है। वर्ष 2023 में यह पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को दिया गया था।

### रामलला पर पहली बार डाक टिकट जारी

दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस पीडीआर ने रामलला पर केंद्रित डाक टिकट जारी किया है। यह पहला अवसर है जब राम " मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति पर किसी अन्य देश में डाक टिकट जारी किया गया है। लाओस में आसियान देशों की बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सेलुमक्से कोमासिथ ने यह डाक टिकट जारी किया। टिकट में रामलला की प्रतिमा दर्शायी गयी है। इस अवसर पर भगवान राम के साथ ही महात्मा बुद्ध पर केंद्रित डाक टिकट भी जारी किया गया।

### प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक बने राहुल नवीन

भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके नाम को स्वीकृति दी है। श्री नवीन वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय में विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति दो साल के लिए होगी।

### तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत

भारत तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन का विषय है- 'सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ'। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि इसमें पिछले सम्मेलनों में विश्व की विभिन्न जटिल चुनौतियों पर हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इन चुनौतियों में संघर्ष, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा संकट तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से विश्व का प्रभावित

## राष्ट्रीय

होना शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले दो शिखर सम्मेलनों की ही तरह यह सम्मेलन भी वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के स्तर का होगा, जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करेंगे।

### पंचायतों में महिला नेतृत्व संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

पंचायती राज मंत्रालय, पंचायतों में महिला नेतृत्व संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसमें देशभर की 160 से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। कार्यशाला में पुद्दुचेरी की पूर्व उप-राज्यापाल किरण बेदी ने पंचायत की बुनियादी समस्याओं और उनके समाधान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पंचायत सरपंचों को और अधिक जिम्मेदारी से काम करना होगा, क्योंकि देश की दो-तिहाई आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है।

### देश के 3 और स्थानों को रामसर स्थल घोषित

देश के तीन और स्थानों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। इनमें तमिलनाडु के नान्जारायन और काजुवेली पक्षी विहार और मध्य प्रदेश का तवा जलाशय शामिल हैं। इसके साथ ही देश में रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह कदम प्रकृति के साथ तादात्म्य बिठाने पर जोर देने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भावना के अनुरूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश के लिए प्रसन्नता का अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार प्रकृति के साथ तारतम्य बिठाकर विकास करने को प्राथमिकता दे रही है। श्री मोदी ने मध्यप्रदेश और तमिलनाडु की जनता को बधाई दी और कहा कि उनकी सरकार भविष्य में भी इस दिशा में कदम उठाना जारी रखेगी।

### वीरता पुरस्कार के लिए सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 103 कर्मियों का चयन

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार के लिए सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 103 कर्मियों का चयन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इन पुरस्कारों को मंजूरी दी। इनमें चार कीर्ति चक्र हैं जिसमें से तीन मरणोपरांत दिए जा रहे हैं, 18 शौर्य चक्र हैं जिनमें से चार मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। एक बार टू सेना वीरता मेडल भी शामिल हैं। वीरता पुरस्कारों में 63 सेना वीरता पदक हैं, जिनमें से दो मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। 11 नौसेना वीरता पदक और छह वायु सेना वीरता पदक भी हैं। राष्ट्रपति ने विभिन्न सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मरणोपरांत आर्मी डॉग कैंट सहित 39 मंशन-इन-डिस्पैच पुरस्कारों को भी मंजूरी दी है।

### इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में 7.4 प्रतिशत वृद्धि

जुलाई में भारत का व्यापारिक आयात सालाना आधार पर 7.4 प्रतिशत बढ़कर 57 अरब 48 करोड़ डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल जुलाई में यह 53 अरब 49 करोड़ डॉलर था। इस साल जुलाई में सेवा क्षेत्र का निर्यात 28 अरब चार करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। पिछले साल इसी महीने में यह 26 अरब दो करोड़ डॉलर था। जुलाई माह में सेवा क्षेत्र का आयात 14 अरब पांच करोड़ डॉलर रहा। पिछले वर्ष जुलाई में सेवा क्षेत्र का आयात 13 अरब सात करोड़ डॉलर था। इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में 37 दशमलव 3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में 3 दशमलव 6 प्रतिशत, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात में 8 दशमलव 3 प्रतिशत और कपड़ा निर्यात में 11 दशमलव 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

अंतरराष्ट्रीय

निकोलस ने तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता



वेनेजुएला में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने जीत दर्ज की है। वह तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। वेनेजुएला की राष्ट्रीय चुनाव परिषद ने बताया कि निकोलस मादुरो ने चुनाव में 51 प्रतिशत वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज को 44 प्रतिशत मत मिले हैं। विपक्षी दलों ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए परिणामों को मान्यता नहीं दी है, वहीं अमेरिका और चिली ने भी निकोलस मादुरो की जीत पर सवाल उठाए हैं।

शिनावात्रा बर्नी थार्डलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री

पूर्व पीएम थाकसिन शिनावात्रा की सबसे छोटी बेटी 37 वर्षीय पैटिंगटार्न शिनावात्रा थार्डलैंड की 31वीं प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। वे सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री होंगी। वे देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी और श्रेया थाक्सिन का स्थान लेंगी।

मंकी पॉक्स को लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया है। इस वायरल संक्रमण की शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई थी, जो बाद में पड़ोसी देशों बुरुंडी, केन्यात, रवांडा और युगांडा में फैल गई। मंकी पॉक्स संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलने वाला रोग है। कुछ मामलों में यह जानलेवा भी हो सकता है। मंकी पॉक्स पीड़ित व्यक्ति में बुखार और फुंसी की समस्या होती है। संगठन के निदेशक ने कहा है कि मंकी पॉक्स से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है। संगठन ने फिलहाल इसके लिए 15 लाख डॉलर जारी किये हैं। इस वर्ष अफ्रीकी महाद्वीप में मंकी पॉक्स के 17 हजार से अधिक संदिग्ध मामलों और पांच सौ से अधिक मौतों को देखते हुए अफ्रीकी स्वास्थ्य संगठन ने इसे आपदा घोषित किया था।

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनाट शुभांशु शुक्ला का चयन

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इंडो-यूएस स्पेस मिशन के लिए भारत के गुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजेगी। गुप कैप्टन शुक्ला इस मिशन के प्राइम एस्ट्रोनाट होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बताया कि इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एचएसएफसी) ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने के अपने आगामी एक्सओम-4 मिशन के लिए अमेरिका स्थित एक्सओम स्पेस के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया है, इस समझौते के तहत दो भारतीय पायलट चुने गए हैं इस मिशन के लिए गुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्राइम एस्ट्रोनाट होंगे, वहीं गुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर बैकअप मिशन पायलट होंगे।

दुनिया का सबसे छोटा झील

चीन के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा झील बनाया है, जिसका वजन महज 4 ग्राम है। यह झील अनिश्चित काल तक उड़ान भरने में सक्षम है। इस झील में इलेक्ट्रोस्टैटिक मोटर का इस्तेमाल किया

गया है। इस झील में सोलर सेल लगे हुए हैं, जो 4.5 वॉट की ऊर्जा पैदा करते हैं जिससे यह लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। पारंपरिक झील की तुलना में इस झील की पावर टू लिफ्ट क्षमता 2 से 3 गुना अधिक है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस झील में रिचार्जबल बैटरी जोड़ी जा सकती है।

वाट्स एप पर बना सकेंगे अब मनचाहे स्टिकर्स

वाट्स एप पर चैटिंग को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए कंपनी ने कस्टम स्टिकर्स का फीचर जोड़ा है। इससे यूजर्स खुद ही मनचाहे स्टिकर्स बना सकेंगे। इसके लिए कंपनी ने जिफी के साथ साझेदारी की है। कई यूजर्स के एप में नई सुविधा अपडेट भी हो गई है।

दुश्मन देशों पर नजर रखने के लिए लॉन्च किया पहला मिलिट्री जासूसी सैटेलाइट

ब्रिटेन ने अपना पहला मिलिट्री जासूसी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग इलॉन मस्क की स्पेस कंपनी के फॉल्कन 9 रॉकेट से कैलिफोर्निया के वांडेनबर्ग स्पेस बेस से की गई। इस सैटेलाइट का नाम ताइची है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह सैटेलाइट मिलिट्री को मदद तो करेगा ही, साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं और वैश्विक जलवायु परिवर्तन की भी सटीक जानकारी देगा।

तिरंगों से पटा न्यूयॉर्क, श्रीराम मंदिर की झांकी ने किया मंत्रमुग्ध

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतवंशियों की तरफ से निकाली गई इंडिया डे परेड को लेकर अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में खासा उत्साह रहा। बड़ी संख्या में शामिल भारतवंशियों ने हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय और धार्मिक नारे लगाए। जगह-जगह बैनर व पोस्टर भी लगाए गए थे। रैली में 40 झांकियां शामिल थीं। श्रीराम मंदिर की झांकी ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोगों ने श्रद्धा व उत्साह के साथ झांकी पर फूल चढ़ाए। सांसद व अभिनेता मनोज तिवारी, अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा व जहीर इकबाल कार्यक्रम के अतिथि थे।

इराक ने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के लिए भारत की सराहना की

इराक ने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार की सराहना की है। इराक के उप प्रधानमंत्री फुआद हुसैन बैठक में वचुंअली शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इराक ग्लोबल साउथ का एक अभिन्न अंग बना हुआ है और सभी के लिए एक स्थायी और समृद्ध भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता है। श्री हुसैन ने जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए विकसित देशों के साथ सामूहिक कार्यवाई के महत्व के बारे में बताया।

अमरीका और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया

अमरीका और दक्षिण कोरिया ने बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य अपनी संयुक्त रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और उत्तर कोरिया से खतरों को रोकना है। वार्षिक उलची फ्रीडम शील्ड अभ्यास कोरिया के प्रायद्वीपों पर लगातार बढ़ते तनाव के बीच हो रहा है। अभ्यास में इस सप्ताह पांच दिनों तक 200 से अधिक दक्षिण कोरिया और अमरीका के लड़ाकू विमान चौबीस घंटे उड़ान भरेंगे। अमरीका ने उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त रक्षा के लिए दक्षिण हिस्से में 28 हजार पांच सौ सैनिक तैनात किए।

खेल / कला

ओलंपिक के सबसे युवा भारतीय टेफरी बने अशोक



भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज साई अशोक ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। साई अशोक ओलंपिक में देश के सबसे बुवा रेफरी बन गए हैं। 32 वर्षीय अशोक को पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी स्पर्धाओं के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है। साई अशोक यह उपलब्धि हासिल करने वाले बौधे भारतीय हैं। वह विश्व चैम्पियनशिप में खिलाड़ी और अधिकारी दोनों के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। साई अशोक पुणे के सैन्य खेल संस्थान में मुक्केबाजी प्रशासक के तौर पर काम करते हैं। वह विश्व सैन्य मुक्केबाजी परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय भी रहे हैं।

जीशान अली ने भारतीय डेविस कप टीम के कोच पद से दिया इस्तीफा

जीशान अली ने भारतीय डेविस कप टीम के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय टेनिस सेंटर- एनटीसी के विकास पर ध्यान लगाना चाहते हैं। जीशान, दक्षिण कोरिया के खिलाफ मुकाबले से पहले नंदन बाल की जगह टीम के कोच बने थे जब देश के शीर्ष खिलाड़ियों ने खेलने की बेहतर परिस्थितियां मुहैया कराने की मांग करते हुए अखिल भारतीय टेनिस संघ- एआईटीए के खिलाफ बग़ावत कर दी थी।

दस ओलंपिक खेलने वाली पहली खिलाड़ी बनीं गीतो सालुकवाजे

जॉर्जिया की महिला निशानेबाज नीनो सालुकवाजे ने पेरिस ओलंपिक खेलों में इतिहास रच दिया है। सालुकवाजे दस ओलंपिक खेलों में शिरकत करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। वह पहले सोवियत यूनियन का प्रतिनिधित्व करती

थीं। सालुकवाजे ने वर्ष 1988 के सियोल ओलंपिक खेलों में 19 वर्ष की उम्र में पहली बार हिस्सा लिया था। उन्होंने सियोल में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता था, तब से उन्होंने सभी ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। सालुकवाजे ने वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक में उन्होंने अपने बेटे टीसोने माचावारियानी के साथ हिस्सा लिया था।

पेरिस में हो रहे पैरालम्पिक खेलों में भारत से 84 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे

पेरिस में इसी महीने शुरू हो रहे पैरालम्पिक खेलों में भारत से 84 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये खेल 28 अगस्त से आठ सितम्बर तक आयोजित होंगे। यह पहला मौका है जब सर्वाधिक 47 भारतीय एथलीट इन खेलों में हिस्सा लेंगे। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस दल में 50 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत प्रशिक्षण मिला है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि कई खिलाड़ी खेले इंडिया गेम्स से चुने गए हैं। तोक्यो में हुए पिछले पैरालम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीते थे।

जसराज ने एशियन यूथ चैम्पियनशिप में जीता सिल्वर

छत्तीसगढ़ के युवा कराते खिलाड़ी जसराज सिंह ने एशियन यूथ चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया है। चीन में हुए टूर्नामेंट में भारत की ओर से खेलते हुए जसराज ने अंडर-10 के 40 किग्रा वजन वर्ग में खेलते हुए पहले राउंड में मेजबान टीम के खिलाड़ी को 7-2 से हराया। इसके बाद जसराज ने मकाऊ को 6-1 से और सेमीफाइनल में भी मकाऊ के ही खिलाड़ी को 7-0 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में जसराज का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ी से हुआ। जिसमें उन्हें हार का सामना कर सिल्वर से संतोष करना पड़ा। जसराज ने नेशनल चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीत एशियन चैम्पियनशिप में जगह पक्की की थी। खिलाड़ी ने अब तक हुए स्टेट लेवल टूर्नामेंट में 11 गोल्ड मेडल जीते हैं। साथ ही वेस्ट जोन चैम्पियनशिप में भी उन्हें गोल्ड मिला।

70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा

वर्ग	विजेता	फिल्म
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म	आट्टम	आट्टम
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता	ऋषभ शेट्टी	कंतारा
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता	पवन मल्होत्रा	फौजा
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म	कंतारा	कंतारा
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री	नित्या मेनन	तिरुचित्रमबलम,
	मानसी पारेख	कच्छ एक्सप्रेस
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक	सूरज बडजात्या	उंचाई

वर्ष 2022 के 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा नई दिल्ली में की गई। कन्नड फिल्म कंतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म तिरुचित्रमबलम में काम करने के लिए नित्या मेनन और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस की अभिनेत्री मानसी पारेख को प्रदान किया गया है।

इन पुरस्कारों की घोषणा फीचर फिल्म ज्यूरी के प्रमुख राहुल रावेल, नॉन फीचर फिल्म ज्यूरी के प्रमुख नीला माधव पांडा और बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा ज्यूरी के प्रमुख गंगाधर मुद्दालियार ने की। मलयालम फिल्म आट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया है जबकि आईना को

सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का सम्मान मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार फिल्म उंचाई के लिए सूरज बडजात्या को दिया गया है।

फीचर फिल्म श्रेणी में हिन्दी फिल्म गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में हरियाणवी फिल्म फौजा को सर्वश्रेष्ठ संगीत का सम्मान मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुरूष पार्श्व गायक का पुरस्कार अरिजीत सिंह और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक का पुरस्कार बाम्बे जयश्री को दिया गया है। इनके अलावा पोन्नियिन सेल्वन पार्ट-वन, के जी एफ-टू, ब्रह्मास्त्र, अपराजितो, ईमुथी पुथी, काबेरी अंतरधान, दामन और बागी दी थी जैसी फिल्मों को भी पुरस्कार मिला है।



**श्री नरेन्द्र मोदी**  
माननीय प्रधानमंत्री



**श्री विष्णु देव साय**  
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

# छत्तीसगढ़

## खुशियों का गढ़

हम खुश हैं क्योंकि हम किसानों से किए गए वादे पूरे हुए हैं। हमें दो साल का बकाया बोनस मिला है।

हम खुश हैं क्योंकि हम सरकार को ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान बेचते हैं, जो भारत में सबसे अधिक कीमत है। इस साल राज्य में रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है।

हम खुश हैं क्योंकि हमारी तरह राज्य की 70 लाख बहनों को महतारी बंदन योजना से प्रति माह ₹1000 मिलते हैं, जिससे हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं।

हम खुश हैं क्योंकि हम युवाओं को सरकारी भर्तियों के लिए निर्धारित आयु में 5 वर्ष की छूट मिली है। अब रोजगार के नए रास्ते खुल गए।

हम खुश हैं क्योंकि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा रही है। विष्णु देव सरकार की जीरो टॉलेरेंस नीति राज्य में सुशासन ला रही है।

हम खुश हैं क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत अब हम क्षेत्रीय बोली-भाषा में भी पढ़ पाएंगे। हमारी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हमारे विष्णु देव सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद।

हम खुश हैं क्योंकि हमें कई सालों के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना खुद का पक्का घर मिला है।

हम खुश हैं क्योंकि हमें हमारे परिश्रम का सम्मान मिला- तेंदूपत्ता संग्रहण की दर ₹4000 से ₹5500 बढ़ा दी गई और खरीदी की समय-सीमा भी बढ़ाई गई। हरा सोना अब बना खरा सोना।

हम खुश हैं क्योंकि जनदर्शन में हजारों लोग प्रदेश के मुखिया से मिल पा रहे हैं, अपनी समस्याएं सुनाकर त्वरित निवारण पा रहे हैं।

हम खुश हैं क्योंकि हमारे श्रवण कुमार विष्णु देव हमें निःशुल्क अयोध्या-काशी तीर्थ भ्रमण करा रहे हैं। इस जीवन में हमने रामलला दर्शन योजना से जीवन का पुण्य पा लिया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जुड़ने के लिए QR CODE स्कैन करें।



हमने बनाया है, हम ही संवारेगे



विष्णु के सुशासन से  
सँवर रहा छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी  
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय  
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



# छत्तीसगढ़

गढ़ रहा उद्योगों की स्थापना के नए अवसर



“उद्यमी बनने की  
राह अब हुई आसान,,

## सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से



उद्योगों की स्थापना में  
सहयोग, युवाओं को मिलेंगे  
रोजगार के मौके



पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध  
होगी 16 से अधिक विभागों की  
100 से अधिक सुविधा



पोर्टल पर एक बार आवेदन  
से ही सभी विभागों का  
मिलेगा क्लीयरेंस



ऑफलाइन मोड में किसी  
भी कार्यालय जाने की नहीं  
होगी आवश्यकता



उद्योग स्थापना के लिए किन  
विभागों से लेना होगा क्लीयरेंस  
पोर्टल पर उपलब्ध होगी  
यह जानकारी



ई-चालान के माध्यम से  
पेमेंट की सुविधा

CLICK

सिंगल क्लिक पर देखी  
जा सकेगी आवेदन  
की स्थिति



हमने बनाया है, हम ही सँवारेंगे

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय  
से जुड़ने के लिए यह क्यू आर कोड स्कैन करें



Visit us: [f ChhattisgarhCMO](#) [x ChhattisgarhCMO](#) [@ ChhattisgarhCMO](#) [ChhattisgarhCMO](#) [f DPRChhattisgarh](#) [x DPRChhattisgarh](#) [www.dprcg.gov.in](#)